[2022] 5 एस. सी. आर 162

रामानंद @नंदलाल भारती

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील सं। 64-65 2022 का)

13 अक्टूबर, 2022

[उदय उमेश ललित, सीजेआई, एस. रवींद्र भाट और

जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: s.302-अभियोजन का मामला यह था कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन, अपीलार्थी-अभियुक्त ने अपनी पत्नी और चार बच्चों की हत्या एक धारदार हथियार से कर दी, जब वे सो रहे थे-उद्देश्य

हत्या के पीछे अपीलार्थी के विवाहेतर संबंध को जिम्मेदार ठहराया गया था एक विवाहित महिला के साथ जिसका मृतक पत्नी ने अत्यधिक विरोध किया था-अपीलार्थी द्वारा दिया गया डिस्कवरी बयान और इसके परिणामस्वरूप

वसूली की गई-कहा जाता है कि अपीलार्थी ने अतिरिक्त न्यायिक कार्रवाई की है

अभियोजन पक्ष के गवाह के सामने स्वीकारोक्ति निचली अदालत ने दोषी ठहराया

अपीलार्थी और पारित मौत की सजा-उच्च न्यायालय ने पुष्टि की

मृत्युदंड-इसलिए तत्काल अपील-आयोजितः वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है-केवल खोज अनुमान लगाने के लिए अपर्याप्त है।

उस व्यक्ति द्वारा छिपाने का लेखक जिसने खोज की

हथियार बनाते समय अभियुक्त व्यक्ति के सटीक शब्द

खोज कथन अभियोजन पक्ष के गवाह द्वारा अपदस्थ नहीं किया गया था -

इसके अलावा, पंचनामे की सामग्री साबित नहीं हुई-विश्वसनीयता

पुलिस गवाह (पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7) की संख्या संदिग्ध थी और खोज के साक्ष्य को अविश्वसनीय माना गया था-अतिरिक्त न्यायिक की विश्वसनीयता अभियोजन पक्ष के गवाह के मौखिक साक्ष्य को देखते हुए भी स्वीकारोक्ति पर संदेह किया गया था-अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति से संबंधित परिस्थितियों के रूप में और

अपराध के हथियार की खोज स्थापित नहीं की गई थी, की श्रृंखला

परिस्थिति जैसे कि उद्देश्य या गलत व्याख्या का प्रमाण अपीलार्थी द्वारा साक्ष्य की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया

विचार नहीं किया गया-इसके अलावा, द्वारा दी गई व्याख्या

उसके शरीर पर चोटों के लिए आरोपी को संगत कहा जा सकता है

बचाव पक्ष की कहानी के साथ-अभियोजन पक्ष मामले को स्थापित करने में विफल रहा उचित संदेह से परे और इसलिए दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया जाता है।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: एस. 8-उद्देश्य की प्रासंगिकता-परिवेशीय साक्ष्य-प्रशंसा के लिए सीधा जैकेट सूत्र नहीं हो सकता है।

162 रामानंद @नंदलाल भारती बनाम। उत्तर प्रदेश का राज्य

प्रसाद

परिस्थितिजन्य साक्ष्य-अपराध का सुझाव देने वाली परिस्थितियाँ ठोस और दृढ़ता से स्थापित होनी चाहिए-वही निश्चित प्रवृत्ति और प्रकृति में निर्णायक होनी चाहिए-परिस्थितियों को एक श्रृंखला बनानी चाहिए जो सभी मानवीय संभावनाओं में अभियुक्त के अपराध की ओर निर्णायक रूप से इंगित करती है-परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होना चाहिए और अभियुक्त के अपराध के लिए जगह देने वाली किसी भी परिकल्पना से रहित होना चाहिए। निर्दोषता लेकिन केवल एक परिकल्पना का समर्थन करना चाहिए अर्थात उसका अपराध-उद्देश्य, हालांकि अपराध के ऐसे तत्व के रूप में नहीं, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में यह अधिक महत्व रखता है-उद्देश्य की अनुपस्थिति दोषपूर्ण परिस्थितियों की एक अनुपस्थित कड़ी हो सकती है, लेकिन एक बार अभियोजन पक्ष ने अन्य दोषपूर्ण परिस्थितियों को पूरी तरह से स्थापित कर लिया है, उद्देश्य की अनुपस्थिति आरोपी को कोई लाभ नहीं देगी-उद्देश्य एक महत्वपूर्ण परिस्थिति हो सकती है लेकिन यह अपने आप में निर्णायक प्रमाण के रूप में नहीं होता है कि संबंधित व्यक्ति अपराध का लेखक था।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: एस. 27-खोज कथन-सूचना

अभियुक्त से प्राप्त होने के परिणामस्वरूप एस के लिए तथ्य की खोज होनी चाहिए।

27 आवेदन करने के लिए-इस तरह की गवाही देते समय, अभियुक्त को पुलिस हिरासत में होना चाहिए-केवल उतनी ही जानकारी जो स्पष्ट रूप से इस तथ्य से संबंधित है जो पता चला है कि स्वीकार्य है-इसके अलावा केवल खोज को उस व्यक्ति द्वारा छिपाने के लेखक का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है जिसने हथियार की खोज की थी-इस बात की संभावना हो सकती है कि उस व्यक्ति ने किसी को हथियार छिपाते हुए देखा होगा, इसलिए यह अनुमान या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि क्योंकि किसी व्यक्ति ने हथियार की खोज की थी, वह वह व्यक्ति था जिसने इसे छिपाया था, कम से कम यह माना जा सकता है कि उसने इसका उपयोग किया था।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: स्वीकारोक्ति-वर्गीकरण और दायरा

स्वीकारोक्ति को न्यायिक और अतिरिक्त न्यायिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

-

पूर्व उन लोगों से संबंधित है जो मजिस्ट्रेट के समक्ष किए जाते हैं या

न्यायालय-अतिरिक्त न्यायिक एक निजी व्यक्ति के समक्ष किए जाते हैं और जिसमें निजी क्षमता में न्यायिक अधिकारी शामिल हो सकते हैं और मजिस्ट्रेट विशेष रूप से सीआरपीसी की धारा 164 के तहत या इस तरह से सशक्त नहीं है, लेकिन उस स्तर पर स्वीकारोक्ति प्राप्त कर रहा है जहां एस। 164 नहीं करता है

आवेदन करें।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति-महत्व

- यह एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है क्योंकि जब भी प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है तो इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

अदालत इस धारणा के साथ शुरुआत करेगी कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति [2022] 5 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कमजोर प्रकार का साक्ष्य-इसे स्वीकार किया जा सकता है और यदि यह विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरता है तो यह दोषसिद्धि का आधार हो सकता है-विश्वसनीयता का परीक्षण इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है कि यह एक निष्पक्ष गवाह से आता है जो आरोपी के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं है और जिसका उद्देश्य आरोपी आदि के लिए एक असत्य बयान देना नहीं है।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: स्वीकारोक्ति-दोषसिद्धि का आधार समझाया गया-यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि दोषसिद्धि स्वेच्छा से स्वीकारोक्ति पर आधारित हो सकती है, लेकिन विवेक के नियम के लिए आवश्यक है कि जहां भी संभव हो स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए-इसके अलावा सभी मामलों में अभियुक्त के न्यायिक स्वीकारोक्ति की पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है-साथ ही वादा या धमकी या उत्पीड़न के तहत प्राप्त स्वीकारोक्ति प्रकृति में अनैच्छिक है और सबूत में उपयोग नहीं किया जा सकता है-अनैच्छिक स्वीकारोक्ति ऐसा नहीं है जो निर्माता की स्वतंत्र इच्छा का परिणाम न हो।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.313-अभियुक्त द्वारा दिया गया गलत स्पष्टीकरण-क्या परिस्थितिजन्य साक्ष्य में अतिरिक्त कड़ी बनती है

अभियोजन पक्ष को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए या गिरना चाहिए और यह बचाव पक्ष की कमजोरी से कोई ताकत हासिल नहीं कर सकता है-यह वह कानून नहीं है जिसमें अभियोजन पक्ष के मामले में कोई कमजोरी या कमी हो, उसे गलत बचाव या झूठी याचिका द्वारा ठीक या प्रदान किया जा सकता है।

जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है-केवल तभी जब सभी परिस्थितिजन्य साक्ष्य अच्छी तरह से स्थापित हो जाते हैं जो अपराध की ओर इशारा करते हैं तो केवल गलत स्पष्टीकरण या अभियुक्त द्वारा दिए गए झूठे बचाव को ही माना जा सकता है।

अतिरिक्त लिंक के रूप में उपयोग किया जाता है और अन्यथा नहीं।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: सबूत का बोझ-विस्तार और अर्थ आपराधिक मुकदमे में आरोपी पर बोझ यह दिखाना होता है कि

" "प्रायिकता की प्रधानता"-अभियुक्त पर अभियोजन के विपरीत अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने का बोझ नहीं होता है जिसका अर्थ है "प्रायिकता की प्रधानता" शब्द कुछ ऐसा है जो "मामले के अधिक संभावित और तर्कसंगत दृष्टिकोण" को दर्शाता है, जो आवश्यक रूप से उतना निश्चित नहीं है जितना कि अभिवचन होना चाहिए अभियोजन के लिए आवश्यक उच्च मानक सबूत केवल गलत दोषसिद्धि से बचने के लिए है क्योंकि गलत दोषसिद्धि गलत तरीके से बरी होने की तुलना में अधिक अन्याय की ओर ले जाती है।

भारत का संविधानः Art.39A-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। 304 - कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 -

एस. 9-कानूनी रामानंद @नंदलाल भारती बनाम। उत्तर प्रदेश का राज्य

प्रसाद

अभियुक्त को सहायता-राज्य का कर्तव्य-समझाया गया-किसी अभियुक्त के लिए निष्पक्ष बचाव सुनिश्चित करने के राज्य के कर्तव्य का क्या अर्थ है, यह नाम के लिए बचाव पक्ष के वकील की नियुक्ति नहीं है।

एक वकील का प्रावधान जो अपनी क्षमताओं के अनुसार लगन से आरोपी का बचाव करता है-रिकॉर्ड पर वकील की उपस्थिति का मतलब प्रभावी, वास्तविक और वफादार उपस्थिति है न कि केवल एक प्रहसन, दिखावा या आभासी उपस्थिति जो भ्रामक है, यदि धोखाधड़ी नहीं है।

निष्पक्ष सुनवाई या समान न्याय से इनकार करने के लिए निर्धनता कभी भी एक आधार नहीं होनी चाहिए, इसलिए, सक्षम अधिवक्ताओं की नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जो जटिल मामलों को संभालने के बराबर हैं, न कि बार में कच्चे प्रवेश करने वालों को संरक्षण देने के लिए।

अपीलों को अनुमति देते हुए, अदालत ने

पकड़नाः 1.1 यद्यपि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मूल्यांकन के लिए कोई सीधा जैकेट सूत्र नहीं हो सकता है, फिर भी एक को दोषी ठहराने के लिए

अभियुक्त और प्रकृति में निर्णायक होना चाहिए; परिस्थितियों को, यदि संचयी रूप से लिया जाए, तो एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और कोई और नहीं; और दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य होना चाहिए अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में पूर्ण और असमर्थ, लेकिन उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, परिस्थितियों को साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए। [पैरा 46] [189-जी-एच; 190-ए-डी]

शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एससीसी 116: [1985] 1 एस. सी. आर. 88-निर्भर।

1.2 मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों में से एक है क्योंकि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। यह तय सिद्धांत है कि

कानून कि एक आरोपी को दंडित किया जा सकता है यदि वह प्रदान किए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में भी दोषी पाया जाता है, तो अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे घटनाओं और परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला को साबित करने में सक्षम है जो निश्चित रूप से संलिप्तता [2022] 5 एस. सी. आर. की ओर इशारा करता है।

और संदिग्ध या अभियुक्त का दोषी, जैसा भी मामला हो। अभियुक्त केवल इसलिए बरी होने का हकदार नहीं होगा क्योंकि मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। यह भी उतना ही सच है कि किसी अभियुक्त को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है, बशर्ते उस संबंध में अपेक्षित सिद्धांतों की संतुष्टि हो। [पैरा 47] [190-डी-एफ]

2.1 अधिनियम की धारा 27 की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक शर्तें मोटे तौर पर इस प्रकार हैं: ((i) परिणामस्वरूप तथ्य की खोज

अभियुक्त से प्राप्त जानकारी का; (iv) ऐसे तथ्य का पता लगाना जिसे गवाही दी जानी चाहिए; (iii) अभियुक्त को सूचना देते समय पुलिस हिरासत में होना चाहिए; और (iv) इतनी जानकारी जो इस प्रकार खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है, वह स्वीकार्य है। [पैरा 64] [199-एफ-एच]

2.2 साक्ष्य के रूप में क्या निकलता है

पंचनामा यह है कि अपीलार्थी ने पंच गवाहों के सामने इस आशय से कहा कि "मैं आपको युद्ध में इस्तेमाल किया गया हथियार दिखाऊंगा।

अपराध का कमीशन "। यह सटीक बयान है जिसे खोज पंचनामे से पढ़ा जा सकता है और पंचनामे में जो दर्ज किया गया है, उसके अलावा सटीक बयान के संबंध में जांच अधिकारी भी गवाही नहीं दे सकते थे। इस कथन से यह संकेत नहीं मिलता है कि अपीलार्थी ने हथियार को छिपाने में अपनी संलिप्तता के बारे में कुछ भी संकेत दिया है। केवल खोज को हथियार की खोज करने वाले व्यक्ति द्वारा छिपाने के लेखक का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। वह अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता था किसी अन्य स्रोत के माध्यम से उस स्थान पर वह हथियार। हो सकता है कि उसने किसी को हथियार छिपाते हुए भी देखा हो, और इसलिए, यह अनुमान या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि एक व्यक्ति

हथियार की खोज, वह वह व्यक्ति था जिसने इसे छुपाया, कम से कम यह माना जा सकता है कि उसने इसका इस्तेमाल किया था। इसलिए, भले ही अपीलार्थी द्वारा खोज को स्वीकार कर लिया जाए, हथियार की खोज के पंचनामे और इस संबंध में साक्ष्य से जो सामने आता है वह यह है कि उसने खुलासा किया कि वह अपराध करने में उपयोग किए गए हथियार को दिखाएगा। [पैरा 67] [201-डी-जी]

मुरली वी. राजस्थान राज्य (2009) 9 एससीसी 417: [2009] 13 एस. सी. आर. 378; मोहम्मद इनायतुल्ला बनाम। राज्य का महाराष्ट्र आकाशवाणी (1976) एससी 483: [1976] 1 एस. सी. आर. 715; इयरभद्रप्पा बनाम। कर्नाटक राज्य एयर (1983) एस. सी. रामानंद @नंदलाल भारती बनाम।

उत्तर प्रदेश का राज्य

प्रसाद

446 [1983] 2 एस. सी. आर. 552; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। देवन उपाध्याय ए. आई. आर. (1960) एस. सी. 1125: [1961] 1

एस. सी. आर. 14-पर निर्भर।

पुलुकुरी कोट्टाया और अन्य बनाम। सम्राट ए. आई. आर. 1947 पी. सी. 67; दूध नाथ पांडे बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 911 [1981] 2 एस. सी. आर. 771; बोधराज उपनाम बोधा और अन्य बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य (2002) 8 एससीसी 45: [2002] 2 पूरक। एससीआर 67; ए. एन. वेंकटेश बनाम कर्नाटक राज्य (2005) 7 एस. सी. सी. 714-संदर्भित।

3.1 स्वीकारोक्ति को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात् न्यायिक और अतिरिक्त न्यायिक। न्यायिक स्वीकारोक्ति वे हैं जो किए जाते हैं।

3.2 अपने स्वभाव से एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और इसके लिए बहुत सराहना की आवश्यकता होती है। सावधानी और सावधानी बरतें। जहाँ एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी होती है, उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है और यह हाथ में मामले की तरह अपना महत्व खो देती है। अदालतें आम तौर पर एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर कोई भरोसा रखने से पहले एक स्वतंत्र विश्वसनीय पुष्टि की तलाश करती हैं। [पैरा 85] [212-एफ-जी]

राजस्थान राज्य बनाम। राजा राम (2003) 8 एससीसी 180: [2003] 2 पूरक। एससीआर 445; मदन गोपाल कक्कड़ बनाम। नवल दुबे और दूसरा (1992) 3 एस. सी. सी. 204: [1992] 2 एससीआर 921; प्यारा सिंह और अन्य बनाम। पंजाब राज्य (1977) 4 एससीसी 452: [1978] 1 एस. सी. आर. 597-पर निर्भर।

सहदेवन और एक अन्य वी। तमिलनाडु राज्य (2012)

6 एससीसी 403: [2012] 4 एस. सी. आर. 366-संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. यह आपराधिक न्यायशास्त्र का एक स्थापित सिद्धांत है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में अपराध करने का उद्देश्य

अभियुक्त की ओर से अपराध अधिक महत्व रखता है।

इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में ये सिद्धांत निर्धारित किए हैं कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में अपराध करने का उद्देश्य निस्संदेह अधिक महत्वपूर्ण है।

उन लोगों की तुलना में जिनमें अपराध करने के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है। यह भी उतना ही सच है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में उद्देश्य साबित करने में विफलता अपने आप में घातक नहीं है। हालाँकि, यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है और यह कानूनी रूप से तुच्छ है कि उद्देश्य की अनुपस्थिति दोषपूर्ण परिस्थितियों की एक अनुपस्थित कड़ी हो सकती है, लेकिन एक बार अभियोजन पक्ष ने अन्य दोषपूर्ण परिस्थितियों को पूरी तरह से स्थापित कर लिया है, तो उद्देश्य की अनुपस्थिति से अभियुक्त को कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रकार, भले ही यह माना जाता है कि अभियुक्त अपीलार्थी का अपराध करने का उद्देश्य था, लेकिन परिस्थिति के आधार पर किसी मामले में यह एक महत्वपूर्ण परिस्थिति हो सकती है।

साक्ष्य लेकिन एक निर्णायक प्रमाण के रूप में जगह नहीं ले सकता है कि संबंधित व्यक्ति अपराध का लेखक था। यह भी कहा जा सकता है कि तथ्यों और परिस्थितियों में उद्देश्य की उपस्थिति मामला अभियुक्त अपीलार्थी के खिलाफ एक मजबूत संदेह पैदा करता है लेकिन संदेह, चाहे कितना भी मजबूत हो, उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध के प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकता है। [पारस 87,90] [212-डी-ई; 215-डी]

संपत कुमार बनाम। पुलिस निरीक्षक कृष्णगिरी

(2012) 4 एससीसी 124: [2012] 2 एससीआर 289-पर निर्भर।

5.1 निचली अदालत और उच्च न्यायालय के अनुसार, अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के संबंध में

उसके सिर पर लगी चोट झूठी साबित हुई है। ऐसी परिस्थितियों में, दोनों अदालतों का विचार था कि अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा दिया गया गलत स्पष्टीकरण परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी है। इस अदालत के लिए झूठे स्पष्टीकरण के मुद्दे पर जाने की आवश्यकता नहीं है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया था क्योंकि अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में अधिक से अधिक गलत स्पष्टीकरण का उपयोग किया जा सकता है। यह मुद्दा महत्वहीन हो जाता है क्योंकि अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य की श्रृंखला में विभिन्न लिंक नहीं हैं संतोषजनक रूप से साबित किया गया। [पैरा 92 और 100] [215-एच; 216-ए; 218 सी] रामानंद @नंदलाल भारती बनाम।

उत्तर प्रदेश का राज्य

प्रसाद

5.2 यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अभियोजन पक्ष को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए या गिरना चाहिए और वह इससे कोई ताकत प्राप्त नहीं कर सकता है

रक्षा की कमजोरी। जहाँ एक श्रृंखला में विभिन्न संबंध अपने आप में पूर्ण होते हैं, तो एक झूठी याचिका या झूठे बचाव को केवल न्यायालय को आश्वासन देने के लिए सहायता के लिए बुलाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, अतिरिक्त लिंक का उपयोग करने से पहले यह साबित किया जाना चाहिए कि सभी श्रृंखला में लिंक पूर्ण हैं और किसी भी दुर्बलता से पीड़ित नहीं हैं। यह वह कानून नहीं है जिसमें अभियोजन पक्ष के मामले में कोई कमजोरी या कमी हो, उसे एक झूठे बचाव या एक झूठी याचिका द्वारा ठीक या प्रदान किया जा सकता है जिसे अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। [पैरा 96] [217-बी-सी]

5.3 इससे पहले कि गलत व्याख्या को एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, निम्नलिखित आवश्यक शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः ((i)

अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य की श्रृंखला में विभिन्न संबंध संतोषजनक रूप से साबित हुए हैं। ((ii) ऐसी परिस्थितियाँ अभियुक्त के अपराध को उचित बचाव के रूप में इंगित करती हैं। ((iii) परिस्थिति समय और स्थिति के निकट होती है। यदि उपरोक्त शर्तों को केवल पूरा किया जाता है तो न्यायालय न्यायालय को आश्वासन के रूप में उधार देने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में एक गलत स्पष्टीकरण या गलत बचाव का उपयोग करता है, अन्यथा नहीं। [पैरा 97,98] [217-डी-एफ]

शंकरलाल ग्यारासीलाल दीक्षित बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1981) 2 एससीसी 35: [1981] 2 एस. सी. आर. 384-निर्भर। चार्ल्स आर. कूपर बनाम एफ. डब्ल्यू. स्लेड (1857-59) 6 एचएलसी 746

संदर्भित किया गया।

6. सबूत के किसी भी टुकड़े को अपराध के रूप में नहीं माना गया

आपराधिक कानून और न्याय वितरण प्रणाली का प्रशासन कथित अभियुक्त की बेगुनाही है और जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते स्पष्ट, ठोस, विश्वसनीय या निर्विवाद साक्ष्य के आधार पर उचित संदेह से परे, किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने या दंडित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, केवल अपराध की जघन्य प्रकृति या उस वीभत्स तरीके से जिसमें इसे किया गया था। [पैरा 116] [223-एफ-एच] [2022] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. अब तक यह एक कानूनी प्रस्ताव के लिए अच्छी तरह से तय हो गया है कि यह देखना और यह सुनिश्चित करना अदालत का कर्तव्य है कि एक आरोपी को रखा जाए।

एक आपराधिक मुकदमे का प्रभावी रूप से एक बचाव पक्ष के वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, और गरीबी, गरीबी या निरक्षरता या किसी अन्य अक्षम कारक के कारण, वह अपनी पसंद के वकील को नियुक्त करने में सक्षम नहीं है, यह अदालत का कर्तव्य बन जाता है कि वह उसे प्रदान करे।

राज्य के खर्च पर उचित और सार्थक कानूनी सहायता। अभियुक्त के लिए एक निष्पक्ष बचाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य के कर्तव्य का क्या अर्थ है, यह नाम के लिए बचाव पक्ष के वकील की नियुक्ति नहीं है। यह एक वकील का प्रावधान होना चाहिए जो अपनी क्षमताओं के अनुसार लगन से अभियुक्त का बचाव करता है। जबकि बचाव की गुणवत्ता या वकील की क्षमता अनुच्छेद 21 और 22 द्वारा स्वीकृत निष्पक्ष मुकदमे की गारंटी के खिलाफ नहीं होगी। संविधान के अनुसार, एक बचाव पक्ष के वकील के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में क्षमता और उचित परिश्रम का एक सीमा स्तर निश्चित रूप से संवैधानिक गारंटीकृत अपेक्षा होगी। द.

रिकॉर्ड पर वकील की उपस्थिति का अर्थ है प्रभावी, वास्तविक और वफादार उपस्थिति और न कि केवल एक प्रहसन, बनावटी या आभासी उपस्थिति जो भ्रामक है, यदि धोखाधड़ी नहीं है। [पैरा 119] [224-जी-एच; 225-ए-बी]

धनंजय शंकर शेट्टी बनाम। महाराष्ट्र राज्य

(2002) 6 एससीसी 596: [2002] 1 पूरक। एससीआर 352; मोहर राय और भरत राय बनाम। बिहार राज्य ए. आई. आर. 1968 एससी 1281 [1968] 3 एस. सी. आर. 525; लक्ष्मी सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य (1976) 4 एस. सी. सी. 394; विजय सिंह और अन्य। वी. उत्तर प्रदेश राज्य (1990) सी. आर. आई. एल. जे. 1510 आशीष बाथम बनाम। एम. पी. राज्य (2002) 7 एस. सी. सी. 317: [2002] 2 पूरक। एस. सी. आर. 146; किशोर चंद बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य (1991) 1 एस. सी. सी. 286 [1990] 1 पूरक। एस. सी. आर. 105; ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख (5) और एक अन्य बनाम। गुजरात राज्य

और अन्य (2006) 3 एस. सी. सी. 374 [2006] 2 एस. सी. आर. 1081; रणछोड़ माथुर वसावा बनाम। गुजरात राज्य (1974) 3 एस. सी. सी. 581 [1974] 2 एस. सी. आर. 72; माधव हयावदराव होसकोट बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1978) 3 एससीसी 544:

[1979] 1 एस. सी. आर. 192; सुभाष चंद बनाम। की स्थिति

राजस्थान (2002) 1 एससीसी 702: [2001] 4 पूरक। एस. सी. आर. 163- संदर्भित।

रामानंद @नंदलाल भारती बनाम। यू. टी. ए. का राज्य

प्रसाद

मामला कानून संदर्भ

[1985] 1 एससीआर 88

उस पर भरोसा करें

पैरा

48

[2009] 13 एससीआर 378

उस पर भरोसा करें

पैरा

62

[1976] 1 एससीआर 715

उस पर भरोसा करें

पैरा

64

[1983] 2 एससीआर 552

उस पर भरोसा करें

पैरा

64

[1961] 1 एससीआर 14

उस पर भरोसा करें

पैरा

64

[1981] 2 एससीआर 771

संदर्भित किया गया है

पैरा

69

[2002] 2 पूरक। एससीआर 67

संदर्भित किया गया है

पैरा

72

(2005) 7 एस. सी. सी. 714

संदर्भित किया गया है

पैरा

73

[2003] 2 पूरक। एससीआर 445

उस पर भरोसा करें

पैरा

80

[2012] 4 एससीआर 366

पैरा

83

संदर्भित किया गया है

[1992] 2 एससीआर 921

उस पर भरोसा करें

पैरा

84

[1978] 1 एससीआर 597

उस पर भरोसा करें

पैरा

84

[2012] 2 एससीआर 289

पैरा

89

उस पर भरोसा करें

[1985] 1 एससीआर 88

संदर्भित किया गया है

पैरा

98

[1981] 2 एससीआर 384

उस पर भरोसा करें

पैरा

105

[2002] 1 पूरक। एससीआर 352

पैरा

111

संदर्भित किया गया है

[1968] 3 एससीआर 525

संदर्भित किया गया है

पैरा

112

(1976) 4 एस. सी. सी. 394

संदर्भित किया गया है

पैरा

113

[2002] 2 पूरक। एससीआर 146

संदर्भित किया गया है

पैरा

116

[1990] 1 पूरक। एससीआर 105

संदर्भित किया गया है

पैरा

123

[2006] 2 एससीआर 1081

संदर्भित किया गया है

पैरा

124

[1974] 2 एससीआर 72

संदर्भित किया गया है

पैरा

125

[1979] 1 एससीआर 192

पैरा

127

संदर्भित किया गया है

[2001] 4 पूरक। एससीआर 163

संदर्भित किया गया है

पैरा

129

आपराधिक अपील

न्यायनिर्णयः

आपराधि

क एपी

नं. 64-65 2022 तक।

[2022] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की न्यायिक पीठ के 09.07.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से, लखनऊ पीठ ने मृत्युदंड No.01 में 2016 की और 2016 की आपराधिक अपील संख्या 1959।

अपीलार्थी। आदर्श उपाध्याय, अनुराग किशोर, अमित सिंह, अजय प्रजापति, बी. एन. दुबे, अमन पाठक, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे. बी. पारदीवाला, जे.

1. महान अमेरिकी लेखक और दार्शनिक मार्क ट्वेन, एक बार

उन्होंने कहाः

" यह इस तरह है, एक शब्द लें, इसे अक्षरों में विभाजित करें, अक्षरों का व्यक्तिगत रूप से कुछ भी अर्थ नहीं हो सकता है, लेकिन जब उन्हें जोड़ा जाता है

वे अर्थ के साथ गर्भवती शब्द का निर्माण करेंगे। इस तरह से आपको परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार करना होगा। आपको सभी परिस्थितियों को एक साथ लेना होगा और इसके लिए निर्णय लेना होगा

क्या अभियोजन पक्ष ने अपना मामला स्थापित किया है।

2. ये अपीलें, विशेष अनुमति द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 09.07.2021 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती हैं।

इलाहाबाद, लखनऊ की पीठ ने अभियुक्त अपीलार्थी को दी गई मौत की सजा की पुष्टि की। 3. अभियुक्त अपीलार्थीकिँ भारतीय दंड संहिताक धारा (संक्षेपमे, "आई. पी. सी".) क अन्तर्गत दंडनीय अपराधक दोषी ठहराओल गेल अछि। निचली अदालत (सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी) ने आरोपी अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। 20,000 / - और जुर्माने का भुगतान न करने पर एक वर्ष के लिए और कठोर कारावास से गुजरना होगा। जबकि सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी ने मृत्यु की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय का संदर्भ दिया

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के तहत सजा (के लिए

संक्षिप्त में, "सी. आर. पी. सी".), अभियुक्त अपीलार्थी ने अपनी दोषसिद्धि और सजा जारी करते हुए 2016 की आपराधिक अपील सं. 1959 को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा दायर 2016 की आपराधिक अपील सं. 1959 को खारिज कर दिया जिससे 2016 की धारा 366 के तहत मृत्यु संदर्भ की पुष्टि होती है।

सीआरपीसी।

4. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अभियुक्त अपीलार्थी वर्तमान अपीलों के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।

रोग होने का कारण

5. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आरोपी अपीलार्थी रामानंद की शादी पिछले 12 वर्षों से संगीता (मृतक) से हुई थी

घटना से पहले। इस विवाह में पाँच बच्चों का जन्म हुआ-एक बेटा और चार बेटियाँ, नाम से गौरव अम्बेडकर की उम्र 10 साल, तुलसी की उम्र 7 साल, लक्ष्मी की उम्र 5 साल, काजल की उम्र 3 साल और गुड्डी की उम्र डेढ़ महीने थी। 6. घटना की दुर्भाग्यपूर्ण रात यानी 21 और 22 जनवरी, 2010 की दरम्यानी रात को जब पत्नी और चार बच्चे बसधिया गांव में स्थित घर में सो रहे थे, तो कहा जाता है कि आरोपी अपीलार्थी ने बांका नामक एक धारदार हथियार से सभी पांचों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। प्रासंगिक समय पर,

अभियुक्त अपीलार्थी का बेटा परिवार के साथ नहीं रह रहा था। घटना के समय 10 साल का बेटा एक पुलिस कांस्टेबल के साथ दूसरे गाँव में रह रहा था। अभियोजन पक्ष द्वारा अपराध के पीछे का उद्देश्य अभियुक्त अपीलार्थी का विवाहेतर संबंध है।

मंजू नाम की एक विवाहित महिला के साथ। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी अपीलार्थी मंजू से शादी करना चाहता था। इसके अलावा, आरोपी अपीलार्थी की पत्नी, संगीता (मृतक), मंजू के साथ अपने पति के संबंधों का बहुत विरोध करती थी। ऐसी परिस्थितियों में, यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि अभियुक्त अपीलार्थी ने न केवल अपनी पत्नी संगीता बल्कि अपनी चार नाबालिग बेटियों को भी बर्खास्त करने का फैसला किया।

7. यह सब उनके द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़. आई. आर.) से शुरू हुआ।

पीडब्लू-1, शंभू रैदास, जो अभियुक्त अपीलार्थी (अभियुक्त अपीलार्थी की बहन का पति) का बहनोई होता है। पीडब्लू-1, शंभू रैदास द्वारा धौरहरा पुलिस स्टेशन, जिला लखीमपुर खीरी में 9 बजे 22.01.2010 पर प्राथमिकी दर्ज की गईः 45 एएम.

एफ. आई. आर. (एक्स. 40) इस प्रकार हैः

" से, स्टेशन हाउस ऑफिसर, कोटवाली-धौरहरा, जिला खीरी। महोदय, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक स्वर्गीय श्री श्याम लाल रैदास का पुत्र शंभू रैदास गाँव का निवासी है -

नामदार पुरवा, पुलिस थाना कोटवाली धौरहरा,

जिला लखीमपुर खीरी। आज आई. डी. 1 पर जब मैं अपने घर पर मौजूद था तो सुबह लगभग 6:30 बजे (2022) 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नामदार पुरवा, हैमलेट-अमेठी, थाना धौरहरा, लखीमपुर खीरी के निवासी गोबरे रैदास का बेटा रामानंद रैदास आया और बताया कि, "पिछली रात मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सो रहा था। इसके बाद

रात के करीब 1 बजे किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी,

मैं उठा और पूछा कि वहाँ कौन है लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर मैं अपने घर की छत पर गया और देखा कि चार लोग घर के बाहर खड़े थे। मैंने मशाल चालू की। मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो गाँव-बसदिहा, पुलिस स्टेशन ईशानगा का निवासी था और रामानंद को जानता था, उसने मुझ पर गोली चला दी। बंदूक; मैं भाग गया और कूद गया और नीचे आ गया। फिर एक बदमाश

बंदूक के बट से मेरे सिर पर मारा। मैं भागकर खेतों में छिप गया और देखा कि बदमाश मेरे घर में घुस आए। मैंने देखा, मेरे घर से धुआं निकल रहा था। फिर मैं बेहनान की ओर भागा।

पुरवा ने खालिक के क्रशर और रामनगर लाहबाड़ी के लोगों को घटना के बारे में बताया लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। मैं यहाँ दौड़ने आया हूँ। " फिर मैं अपने भतीजे प्रताप के साथ रामानंद के घर पहुँचा और देखा कि रामानंद की पत्नी संगीता, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, लगभग 7 वर्ष की बेटियाँ तुलसी, लगभग 5 वर्ष की लक्ष्मी, लगभग 3 वर्ष की काजल और लगभग डेढ़ महीने की एक बच्ची को मार दिया गया था और शव जल रहे थे। फिर मैंने और प्रताप ने बाल्टी की मदद से पानी डाल कर आग बुझाना शुरू कर दिया। हमारे पीछे रामानंद भी अपने घर और घर आए, आंगन में बैठे और आग के सामने खुद को गर्म करने लगे। यह देखकर हम दोनों ने उसे डांटा कि, "तुम्हारी पत्नी-बेटियाँ मार दी गई हैं और तुम आंगन में बैठे हो और गर्म हो रहे हो।

खुद को आग लगाने से पहले "।

मामला दर्ज करें और कानूनी कार्रवाई करें। अंगूठे का प्रभाव (टी. आई.) शंभू रैदास, आवेदक, गाँव के निवासी स्वर्गीय श्याम लाल रैदास के बेटे शंभू रैदास

नामदार पुरवा, हैमलेट, पुलिस स्टेशन धौरहरा, जिला खेरा। तिथि 22.01.2010 "।

[जोर दिया गया] रामानंद @नंदलाल भारती बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

8. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष का मामला है कि घटना के बाद अभियुक्त अपीलार्थी सीधे पीडब्लू-1 शंभू के घर गया।

रायदास लगभग 6 बजेः 30 सुबह में। कहा जाता है कि अभियुक्त अपीलार्थी ने पीडब्लू-1, शंभू रैदास को सूचित किया कि रात के लगभग 1 बजे क्या हुआ था। पीडब्लू-1, शंभू रैदास ने पुलिस को सूचित करना उचित समझा और तदनुसार चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ उपरोक्त प्राथमिकी दर्ज की।

9. एफ. आई. आर. दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जाँच अधिकारी ने सभी की जाँच कार्यवाही को अंजाम दिया

पाँच मृत व्यक्ति। शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। इसके बाद, जांच अधिकारी ने अपराध स्थल की एक स्थल योजना तैयार की। 6)। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि सभी पांचों मृतकों को ज्यादातर सिर और गर्दन के क्षेत्र में घाव हुए थे। जले हुए घावों को पोस्टमॉर्टम के लिए प्रमाणित किया गया था, जबकि कटे हुए घावों को पूर्व-पोस्टमार्टम चोटों के रूप में प्रमाणित किया गया था। सभी पोस्टमॉर्टम रिपोर्टों में मौत का कारण पूर्व-पोस्टमार्टम सिर की चोटों के परिणामस्वरूप सदमे और रक्तस्राव है।

10. अभियुक्त अपीलार्थी को जाँच अधिकारी द्वारा 24 जनवरी, 2010 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद और जब

अभियुक्त अपीलार्थी अभिरक्षा में था, कहा जाता है कि उसने एक स्वैच्छिक बयान दिया था कि वह उस स्थान को दिखाएगा जहाँ उसने अपराध का हथियार यानी बांका और उसके खून से सने कपड़े छिपाए थे। तदनुसार, खोज पंचनामा अपराध के हथियार (एक्स्ट। 5)। ऐसा प्रतीत होता है कि जाँच के दौरान जाँच अधिकारी ने पी. डब्ल्यू.-3, रामचरण के बेटे बाबूराम हंस और पी. डब्ल्यू.-4, पंचू के बेटे राम कुमार के बयान दर्ज किए, जिनके सामने अभियुक्त अपीलार्थी ने अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति दी थी। जाँच अधिकारी ने पीडब्लू-1, शंभू रैदास, प्रथम मुखबिर और पीडब्लू-2, छत्रजपाल रैदास (मृतक संगीता के भाई) का भी बयान दर्ज किया।

11. जाँच के अंत में, आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दंडनीय हत्या के अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया। द.

मजिस्ट्रेट ने सी. आर. पी. सी. की धारा 209 के तहत मामला कोर्ट ऑफ सेशन जज, लखीमपुर खीरी को सौंप दिया। समर्पण के बाद, 2010 का सत्र परीक्षण सं. 379 पंजीकृत किया गया।

12. अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, लखीमपुर खीरी ने आरोपी [2022] 5 एस. सी. आर. के खिलाफ आरोप तय किए।

लांट। अभियुक्त अपीलार्थी का बयान दर्ज किया गया। लैंट ने आरोप स्वीकार नहीं किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

13. अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए

उसके मामले के बारे में:

एस. नहीं।

मौखिक साक्ष्य-गवाह

1 .

पीडब्लू-1 शंभू रैदास

पीडब्लू-2 छत्रपाल रैदास

2 .

3 .

पीडब्लू-3 बाबू राम हंस

4 .

पीडब्लू-4 राम कुमार

5 .

पीडब्लू-5 डॉ. ए. के. शर्मा

6 .

पीडब्लू-6 एस. आई. उमा शंकर मिश्रा

पीडब्लू-7 इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह

7 .

पीडब्लू-8 डॉ. एस. पी. सिंह

8 .

पीडब्लू-9 डॉ. अंकित कुमार सिंह

9 .

10 .

पीडब्लू-10 एच. एम. धनीराम वर्मा

14. अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित वृत्तचित्र भी प्रस्तुत किया यहाँ सेः

एस. नं.

दस्तावेजी साक्ष्य

तहरीर/लिखित शिकायत

1 .

[Ex. का-1]

मृतक लक्ष्मी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट

2 .

[Ex. का-2]

मृतक काजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट

3 .

[Ex. का-3]

मृतक छोटी @गुड्डी की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट

4 .

[Ex. का-4]

हत्या के हथियार और कपड़ों का खोज ज्ञापन

5 .

[Ex.

का-5] एन. डी. @नंदलाल भारती बनाम। उत्तर प्रदेश का राज्य

17

प्रसाद [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अपराध स्थल की स्थल योजना

ए

.

हत्या के हथियार की खोज के लिए स्थल योजना [Ex. का-7]

बी.

आरोप पत्र

राख का ज़ब्त ज्ञापन-मिश्रित और समतल मिट्टी [Ex. का-9]

सी.

[Ex. का-10] मृतक संगीता की फोटो लात

[Ex. का-11]

डी.

मृतक संगीता का पुलिस पेपर संख्या 13

[Ex. का-12] मृतक संगीता के संबंध में नमूना मुहर

[Ex. का-13]

ई.

मृतक संगीता के संबंध में रिजर्व इंस्पेक्टर को पत्र

[Ex. का-14]

मृतक संगीता के संबंध में सी. एम. ओ. को पत्र

[Ex. का-15]

एफ.

मृतक किमी की पूछताछ रिपोर्ट। तुलसी

[Ex. का-16]

मृतक कि. मी. की तस्वीर। तुलसी

[Ex. का-17]

जी.

मृत कि. मी. के संबंध में नमूना मुहर। तुलसी [Ex. का-18]

मृतक किमी के संबंध में रिजर्व इंस्पेक्टर को पत्र। तुलसी

[Ex. का-19]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मृतक किमी के संबंध में सी. एम. ओ. को पत्र।

20 .

[Ex. का-20]

मृतक किमी का पुलिस पेपर संख्या 13। तुलसी

21 .

[Ex. का-21]

मृतक किमी की पूछताछ रिपोर्ट। काजल

22 .

[Ex. का-22]

मृतक किमी का पुलिस पेपर संख्या 13। काजा

23 .

[Ex. का-23]

मृतक कि. मी. की तस्वीर। काजल

24 .

[Ex. का-24]

मृत कि. मी. के संबंध में नमूना मुहर। का।

25 .

[Ex. का-25]

के संबंध में रिजर्व इंस्पेक्टर को पत्र

26 .

काजल

[Ex. का-26]

27 .

मृतक किमी के संबंध में सी. एम. ओ. को पत्र।

[Ex. का-27]

मृतक किमी की पूछताछ रिपोर्ट। लक्ष्मी।

28 .

[Ex. का-28]

मृतक कि. मी. की तस्वीर। लक्ष्मी।

29 .

[Ex. का-29]

मृतक किमी का पुलिस पेपर संख्या 13। लक्ष्मी।

30 .

[Ex. का-30]

मृत कि. मी. के संबंध में नमूना मुहर। ला

31 .

[Ex. का-31]

के संबंध में रिजर्व इंस्पेक्टर को पत्र

32 .

लक्ष्मी।

[Ex.

का-32] एन. डी. @नंदलाल भारती बनाम। उत्तर प्रदेश का राज्य

17

प्रसाद [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

मृतक किमी के संबंध में सी. एम. ओ. को पत्र। लक्ष्मी।

ए

.

[Ex. का-33]

मृतक किमी की पूछताछ रिपोर्ट। छोटी।

[Ex. का-34]

बी.

मृतक कि. मी. की तस्वीर। छोटी @गुड्डी

[Ex. का-35]

मृतक किमी का पुलिस पेपर संख्या 13। छोटी @Guddi

[Ex. का-36]

सी.

मृत कि. मी. के संबंध में नमूना मुहर। छोटी @गुड्डी [Ex. का-37]

मृतक किमी के संबंध में रिजर्व इंस्पेक्टर को पत्र।

छोटी @गुड्डी

डी.

[Ex. का-38] मृतक किमी के संबंध में सी. एम. ओ. को पत्र। छोटी @

गुड्डी

[Ex. का-39] चिक एफ. आई. आर.

ई.

सामान्य डायरी की प्रति [Ex. का-41]

एफ.

मृतक तुलसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट

[Ex. का-42]

मृतक संगीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट

[Ex. का-43]

जी.

अभियुक्त की चिकित्सीय जांच रिपोर्ट

[Ex. का-44]

मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का पूरा होना,

सी. आर. पी. सी. की धारा 313 के तहत अभियुक्त अपीलार्थी

जिसमें अभियुक्त अपीलार्थी ने कहा कि वह निर्दोष था

और कथित अपराध में गलत तरीके से फंसाया गया था। अभियुक्त अपीलार्थी ने यह बचाव किया कि एक प्रतिद्वंद्वी दल के कुछ व्यक्तियों ने उसकी पत्नी और बेटियों की हत्या संगीता (मृत) के रूप में की थी।

अभियुक्त अपीलार्थी के भाई की हत्या का एकमात्र चश्मदीद गवाह था। अभियुक्त अपीलार्थी के भाई की हत्या करने वाले अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा उस समय लंबित था। प्रतिद्वंद्वी दल संगीता को बर्खास्त करना चाहता था और इस कारण से 22 जनवरी, 2010 की रात लगभग 1 बजे चार लोग उसके घर आए और उसके परिवार के सभी पांच सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद शवों में आग लगा दी। निचली अदालत ने अभियुक्त अपीलार्थी के इस तरह के बचाव पर विश्वास नहीं किया।

16. मुकदमे के समापन पर, ट्रायल जज ने आरोपी अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और निम्नलिखित दोषारोपण के आधार पर उसे मौत की सजा सुनाई गई

परिस्थितियाँः

अपराध के हथियार और खून से सने कपड़ों की खोज

((i)

अभियुक्त अपीलार्थी के कहने पर।

((ख)

अभियुक्त अपीलार्थी का अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति

अभियोजन पक्ष के दो गवाह।

((iii) अपराध करने का प्रबल उद्देश्य।

( ) 3 ((iv)

अभियुक्त अपीलार्थी के कहने पर गलत स्पष्टीकरण

और उसका अप्राकृतिक आचरण।

17. अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय में दायर अपील भी विफल हो गई और उसे खारिज करने का आदेश दिया गया।

18. असंतुष्ट होकर, अभियुक्त अपीलार्थी वर्तमान अपीलों के साथ आया है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुतियाँ

ऐप्पललैंट 19. अभियुक्त अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. निरंजन रेड्डी ने जोरदार ढंग से कहा कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने अभियुक्त अपीलार्थी को उसकी पत्नी और चार नाबालिग की हत्या के अपराध का दोषी ठहराने में गंभीर त्रुटि की है।

बेटियाँ। वह प्रस्तुत करेगा कि मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपी अपीलार्थी को कथित अपराध से जोड़ने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत देने में विफल रहा। श्री रेड्डी ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया कि दोनों रामानंद @नंदलाल भारती बनाम।

निचली अदालतों को पीडब्लू-3, बाबू राम हंस और पीडब्लू-4 के साक्ष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए था, राम कुमार ने जवाब दिया ताकि यह विश्वास किया जा सके कि उनके सामने आरोपी अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की गई थी। श्री रेड्डी ने कहा कि नीचे की दोनों अदालतों को हथियार और खून से सने कपड़ों की खोज के साक्ष्य को खारिज कर देना चाहिए था क्योंकि अभियोजन पक्ष छिपाने के लेखक को साबित करने में सक्षम नहीं है। वह प्रस्तुत करेगा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, अभियोजन पक्ष को परिस्थितियों की श्रृंखला के संबंधों में निरंतरता स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि आरोपी के हमलावर होने की एकमात्र और अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, जो आरोपी की निर्दोषता के साथ संगत किसी अन्य परिकल्पना की संभावना के साथ असंगत या असंगत हो।

20. श्री रेड्डी ने जोर देकर कहा कि पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4

जवाब देने वाले 'उठे' गवाह हैं। अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के रूप में साक्ष्य और कुछ नहीं बल्कि जांच अधिकारी के कहने पर एक मनगढ़ंत साक्ष्य है, जिसका उद्देश्य किसी भी प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करना है। वह प्रस्तुत करेगा कि अभियोजन पक्ष के ये दोनों गवाह पूरी तरह से अविश्वसनीय हैं।

21. श्री रेड्डी ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में उद्देश्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह प्रस्तुत करेगा कि अभियोजन पक्ष अपराध के पीछे के उद्देश्य को साबित करने में सक्षम नहीं है। अभियुक्त अपीलार्थी का मंजू के साथ विवाहेतर संबंध और अभियुक्त अपीलार्थी की मंजू से किसी भी कीमत पर शादी करने की इच्छा को अपराध के पीछे के उद्देश्य के रूप में सामने रखा गया है। हालांकि, इस संबंध में कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत नहीं है। वह प्रस्तुत करेगा कि यहाँ तक कि

अन्यथा एक अभियुक्त को केवल उद्देश्य की परिस्थिति में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और मौत की सजा नहीं दी जा सकती है।

22. श्री रेड्डी प्रस्तुत करेंगे कि अभियोजन पक्ष किसी भी तरह से अभियुक्त को लगी चोटों की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। वह प्रस्तुत करेगा कि इसके विपरीत, यह अभियुक्त ही है जो सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयान में उच्च न्यायालय के समक्ष अपना बचाव करते हुए यह समझाने में सक्षम रहा है कि उसके सिर और छाती पर चोट कैसे लगी। यह देखकर कि अभियुक्त अपीलार्थी के सिर पर चोटें आई हैं और खून बह रहा है, अभियुक्त अपीलार्थी को एक पुलिस सिपाही के साथ चिकित्सीय जांच के लिए भेजा गया। जिला अस्पताल, जिला खीरी में। अभियुक्त अपीलार्थी को एक सिपाही द्वारा अस्पताल ले जाया गया। बृज मोहन सिंह, धौरहरा, जिला खीरी। पीडब्लू-9, डॉ. अंकित कुमार सिंह ने एक चिकित्सा प्रमाणपत्र [2022] 5 एस. सी. आर. जारी किया है।

एक्स. 44 अभियुक्त अपीलार्थी के शरीर पर देखी गई चोटों की प्रकृति का उल्लेख करते हुए।

23. श्री रेड्डी ने आगे कहा कि एक बार अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति दोनों अभियोजन पक्ष के समक्ष की गई थी। गवाह यानी पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 का जवाब और अपराध के हथियार की खोज के साक्ष्य को खारिज कर दिया जाता है और विचार से हटा दिया जाता है, तो अभियोजन पक्ष के मामले में कुछ भी नहीं रहता है।

24. अंत में, श्री रेड्डी प्रस्तुत करेंगे कि कथित अपराध के बाद आरोपी का आचरण कितना भी अप्राकृतिक क्यों न हो, वही, अपने आप में, हत्या जैसे अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों में श्री रेड्डी ने प्रार्थना की

कि उसकी अपीलों में योग्यता होने के कारण, उन्हें अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने प्रार्थना की कि दोषसिद्धि और मृत्युदंड के आदेश को दरकिनार कर दिया जाए और अपीलार्थी को हत्या के आरोप से बरी किया जाए।

राज्य के स्वयं के बारे में टिप्पणियां

25. श्री आदर्श उपाध्याय, प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान वकील-दूसरी ओर उत्तर प्रदेश राज्य ने जोरदार तरीके से कहा है

अपीलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अभियुक्त अपीलार्थी को हत्या के अपराध का दोषी ठहराने और उसके परिवार के पांच सदस्यों की नृशंस हत्या के लिए उसे मौत की सजा देने में निचली अदालतों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। वह प्रस्तुत करेगा कि पीडब्लू-3, बाबू राम हंस और पीडब्लू-4, राम कुमार के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई उचित कारण नहीं है, जिनके सामने आरोपी अपीलार्थी ने अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की थी। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए कोई उचित कारण नहीं है

अभियुक्त अपीलार्थी के कहने पर अपराध के हथियार की खोज पर अविश्वास करें। वह प्रस्तुत करेगा कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति और अपराध के हथियार की खोज के रूप में दो दोषपूर्ण परिस्थितियों के अलावा, आरोपी अपीलार्थी के लिए अपराध करने का एक मजबूत उद्देश्य था।

26. श्री उपाध्याय ने जोर देकर कहा कि अभियुक्त अपीलार्थी मंजू और उसकी पत्नी संगीता से शादी करना चाहता था। (मृत) अपने रास्ते में आ रहा था। अभियुक्त अपीलार्थी ने न केवल अपनी पत्नी को बर्खास्त करने का फैसला किया, बल्कि अपनी चार मासूम नाबालिग बेटियों को भी बेरहमी से मार डाला ताकि मंजू से शादी करने के बाद उसे उनकी देखभाल न करनी पड़े। वह प्रस्तुत करेगा कि यह अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा किए गए सबसे जघन्य और वीभत्स अपराधों में से एक है।

27. उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष इसके लिए बाध्य नहीं है

फिर वह मिट्टी के तेल के संपर्क में कैसे आया। वह प्रस्तुत करेगा कि अभियुक्त अपीलार्थी का मामला कि अज्ञात व्यक्तियों में से एक ने बन्दूक से गोली चलाई थी, यह भी गलत है क्योंकि कोई कारतुस या कोई गोली नहीं थी। घटना स्थल से बरामद किया गया।

28. श्री उपाध्याय प्रस्तुत करेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दायर वर्तमान अपीलों का दायरा बहुत सीमित है। यह केवल असाधारण परिस्थितियों में है कि यह न्यायालय परेशान कर सकता है

क्रमशः विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित अपराध के समवर्ती निष्कर्ष। वह प्रस्तुत करेंगे कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है और किसी भी तरह से साक्ष्य की प्रशंसा को विकृत नहीं कहा जा सकता है।

29. उपरोक्त परिस्थितियों में श्री उपाध्याय प्रार्थना करते हैं

कि अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा दायर अपीलों में कोई योग्यता नहीं होने के कारण, उन्हें खारिज किया जा सकता है।

रिकॉर्ड पर मौखिक प्रमाण

30. पीडब्लू-1, शंभू रैदास पहला सूचना देने वाला है। वह अभियुक्त अपीलार्थी का बहनोई अर्थात अभियुक्त का पति होता है। अभियुक्त अपीलार्थी की बहन। 22.01.2010 पर जब वह अपने घर पर था, तो कहा जाता है कि आरोपी अपीलार्थी 6 बजे उससे मिलने आया थाः 30 सुबह और उन्हें बताया गया कि रात के 1 बजे चार अज्ञात लोगों ने उनका दरवाजा खटखटाया। अभियुक्त अपीलार्थी जाग गया और पूछा कि वह कौन था। जैसे ही किसी ने जवाब नहीं दिया, आरोपी अपीलार्थी अपने घर की छत पर गया और चार लोगों को अपने घर के बाहर खड़े देखा। कहा जाता है कि अभियुक्त अपीलार्थी ने उन चार व्यक्तियों को मशाल की रोशनी में देखा था। अभियुक्त अपीलार्थी ने पीडब्लू-1 को सूचित किया कि व्यक्तियों में से एक

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बसदिहा गाँव से था। चार लोगों में से एक ने अभियुक्त अपीलार्थी पर गोली चला दी। कहा जाता है कि अभियुक्त अपीलार्थी कूद गया था छत के ऊपर। उस समय, चारों में से एक ने आरोपी अपीलार्थी के सिर पर बंदूक के बट से वार किया। इसके बाद आरोपी अपीलार्थी एक खेत की ओर भाग गया। कहा जाता है कि अभियुक्त अपीलार्थी ने उन व्यक्तियों को दूर से उसके घर में प्रवेश करते देखा था। कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके घर से धुआं निकल रहा है। अभियुक्त अपीलार्थी मदद के लिए बेहनानपुरवा, खालिकपुरवा और लाहकी गया लेकिन वह कोई मदद नहीं ले सका। पीडब्लू-1 ने बयान दिया है कि अभियुक्त अपीलार्थी के बाद

यह देखकर, पीडब्लू-1 नाराज हो गया और अभियुक्त अपीलार्थी से कहा कि वह आग के पास कैसे बैठ सकता है जब उसकी पत्नी और बच्चे मारे गए थे। इसके बाद पीडब्लू-1, शंभू रैदास धौरहरा पुलिस स्टेशन गए और प्राथमिकी दर्ज कराई। एफ. आई. आर. में उन्होंने चार अज्ञात व्यक्तियों को संदिग्ध के रूप में नामित किया है। पीडब्लू-1 ने आगे मंजू के साथ अभियुक्त अपीलार्थी के अवैध संबंधों के बारे में बयान दिया है। उसने बयान दिया है कि जबकि आरोपी अपीलार्थी की शादी संगीता से हुई थी, उसने मंजू से शादी करने का फैसला किया। अभियुक्त अपीलार्थी रामानंद के साथ मंजू की सगाई समारोह भी किया गया था। हालांकि, इससे पहले कि आरोपी अपीलार्थी मंजू से शादी कर पाता, उसे आईपीसी की धारा 307 के तहत उसके खिलाफ दर्ज एक अपराध के संबंध में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अपदस्थ कर दिया है कि संगीता (मृतक) का बहुत विरोध किया गया था उसके पति रामानंद की मंजू से शादी करने का विचार। उसने आगे बयान दिया है कि अभियुक्त अपीलार्थी ने अपनी पत्नी और चार बच्चों की इस उम्मीद में हत्या कर दी कि उसे सरकार से कुछ मौद्रिक मुआवजा मिल सकता है। अपनी प्रतिपरीक्षा में, पीडब्लू-1 ने बयान दिया है कि उसका घर अभियुक्त अपीलार्थी के घर से एक किलोमीटर की दूरी पर है। जब अभियुक्त अपीलार्थी 6 बजे अपने घर पहुँचाः 30 घटना के दिन सुबह, पीडब्लू-1 ने आरोपी अपीलार्थी को बहुत तनाव में पाया। अपनी जिरह में, उसने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि वह रात के 2 बजे तक यानी 23 रामानंद @नंदलाल भारती बनाम पुलिस स्टेशन में था।

उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

जनवरी, 2010 की सुबह 2 बजे उसने इतने शब्दों में गवाही दी है कि आरोपी अपीलार्थी रामानंद भी पूरे समय पुलिस स्टेशन में उसके साथ था। उसने बयान दिया है कि जब वह पुलिस स्टेशन से निकला, तो रामानंद-आरोपी अपीलार्थी को पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जाने दिया गया। उसने गवाही दी है कि रामानंद का पुलिस ने तीसरे दिन चालान किया था, तब तक रामानंद लगातार पुलिस स्टेशन में रह रहा था।

31. पीडब्लू-1 के साक्ष्य से जो सामने आता है वह यह है कि

32. अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-2, छत्रपाल रैदास की जांच की है। पीडब्लू-2 मृतक संगीता देवी का भाई है। अपने मुख्य परीक्षण में, उसने मंजू के साथ अभियुक्त अपीलार्थी के विवाहेतर संबंध के बारे में गवाही दी है। उसने यह भी बयान दिया है कि घटना से दस दिन पहले संगीता उसके घर गई थी और आरोपी अपीलार्थी द्वारा उसके साथ किए गए उत्पीड़न के बारे में बताया था। अपनी जिरह में, उन्होंने गवाही दी है कि उन्हें रामानंद के माध्यम से सुबह 7 बजे घटना के बारे में पता चला था। पीडब्लू-2 के अनुसार, रामानंद उनके घर गए थे और उन्हें बताया गया था कि उनकी पत्नी और चार बच्चे घर में जल रहे हैं। पीडब्लू-2 के अनुसार, अभियुक्त अपीलार्थी ने ऐसा कहते हुए अपना घर छोड़ दिया। पीडब्लू-2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में आगे कहा है कि प्रताप और पीडब्लू-1, शंभू रैदास को आरोपी अपीलार्थी के घर पर पानी से आग बुझाते हुए देखा जाना था। उन्होंने बयान दिया है कि ग्रामीण आरोपी अपीलार्थी के घर के बाहर खड़े थे। उन्होंने पदच्युत कर दिया है कि रामानंद के कपड़े खून से लथपथ थे। कुछ देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर घटना स्थल पर पहुंचे। पीडब्लू-2 ने बयान दिया है कि सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच पुलिस आरोपी अपीलार्थी को ले गई

पुलिस स्टेशन तक। उन्होंने गवाही दी है कि कुछ ही समय के भीतर, यह पुष्टि हो गई कि हमलावर रामानंद-अभियुक्त अपीलार्थी के अलावा और कोई नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

33. पीडब्लू-2 के साक्ष्य से जो पता चलता है वह यह है कि अभियुक्त अपीलार्थी मंजू के साथ विवाहेतर संबंध में था और

मंजू से शादी करना चाहते थे। विवाहेतर संबंध के कारण, संगीता को अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा परेशान किया जा रहा था। हालाँकि, पीडब्लू-2 के साक्ष्य में ध्यान देने योग्य बात यह है कि रामानंद सुबह 7 बजे उनके घर भी गए थे। पीडब्लू-2 ने प्रताप और पीडब्लू-1 शंभू रैदास को भी आरोपी अपीलार्थी के घर पर पानी से आग बुझाने की कोशिश करते देखा। पीडब्लू-2 के बयान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आरोपी अपीलार्थी को पुलिस घटना के दिन सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच ले गई थी। 34. अभियोजन पक्ष ने अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को साबित करने के लिए पीडब्लू-3, बाबू राम हंस से पूछताछ की है। पीडब्लू-3 अपनी परीक्षा में

प्रमुख ने बयान दिया है कि 23.01.2010 पर जब वह अपने घर पर था, तो आरोपी अपीलार्थी सुबह लगभग 9 बजे आया और सूचित किया

घटना के बारे में। पीडब्लू-3 के अनुसार, कहा जाता है कि अभियुक्त अपीलार्थी ने अपने सामने अपनी पत्नी और चार नाबालिग बच्चों की बेरहमी से हत्या करने की बात कबूल की है। पीडब्लू-3 के अनुसार, अभियुक्त अपीलार्थी ने उसकी मदद मांगी क्योंकि पीडब्लू-3 प्रासंगिक समय पर बीएसपी सत्तारूढ़ दल का नेता था। लेकिन, पीडब्लू-3 ने किसी भी तरह से अभियुक्त अपीलार्थी की मदद करने से इनकार कर दिया। पीडब्लू-3 ने बयान दिया है कि उसने पुलिस निरीक्षक को आरोपी अपीलार्थी द्वारा उसके सामने किए गए कबूलनामे के बारे में बताया था और उसका बयान भी पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। पीडब्लू-3 ने अपनी जिरह में कहा है कि उसका गाँव नामदार पुरवा से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है।

35. हम समझाएँगे कि हम अपने निर्णय में कुछ समय बाद पीडब्लू-3, बाबू राम हंस के साक्ष्य पर विश्वास करने के लिए कैसे इच्छुक नहीं हैं। 36. अभियोजन पक्ष ने पंचू के बेटे पी. डब्ल्यू.-4 राम कुमार से पूछताछ की है। अभियोजन पक्ष का मामला है कि पीडब्लू-4 से पहले भी,

अभियुक्त अपीलार्थी ने अपराध के बारे में अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति दी थी। पीडब्लू-4 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि प्रासंगिक समय पर वह बीएसपी की जिला पंचायत के सदस्य थे। उन्होंने उसी दिन यानी 22.01.2010 को 6 बजे पदच्युत कर दिया है: 30 सुबह रामानंद उनके घर आए और बताया कि उनकी पत्नी और बच्चों पर हमला किया गया है और आग लगा दी गई है। पीडब्लू-4 ने अभियुक्त अपीलार्थी से कहा कि वह उसकी मदद करेगा बशर्ते वह सच बताए। पीडब्लू-4 के अनुसार, इसके बाद आरोपी अपीलार्थी ने उसके सामने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी थी क्योंकि वह मंजू और उसकी पत्नी से शादी करना चाहता था।

पत्नी संगीता उससे शादी करने का विरोध कर रही थी।

उन्होंने आगे रामानंद @नंदलाल भारती बनाम को अपदस्थ कर दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अपने मुख्य परीक्षण में कि जब वह अभियुक्त अपीलार्थी के गाँव पहुँचा तो उसने देखा कि रामानंद का बेटा रामानंद की गोद में बैठा था और रामानंद रो रहा था और अपने बेटे से बात कर रहा था कि उसने अपनी माँ और बहनों को मार दिया है। अपनी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने यह बयान दिया है कि जब अभियुक्त अपीलार्थी 6 बजे उनके घर आया थाः 30 सुबह उसने देखा कि उसकी कमीज और पैंट पर खून था। उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में आगे बयान दिया है कि उसने पुलिस अधिकारियों को सूचित किया था कि अभियुक्त अपीलार्थी 6 बजे उसके घर आया थाः 30 सुबह में।

37. पीडब्लू-4 के साक्ष्य से जो पता चलता है वह यह है कि 22.01.2010 पर अभियुक्त अपीलार्थी 6 बजे गवाह के घर गया थाः 30 सुबह में और अपने सामने कथित अपराध के बारे में एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की। हम पीडब्लू-4 की गवाही पर विश्वास करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हम कुछ समय बाद कारण बताएँगे कि हम पीडब्लू-4, बाबू राम हंस पर विश्वास करने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं। 38. अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-5, डॉ. ए. के. शर्मा से पूछताछ की है जिन्होंने मृतक लक्ष्मी, काजल और का पोस्टमार्टम किया था।

छोटी @गुड्डी जवाब दें। डॉ. शर्मा ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि 23.01.2010 पर उन्हें जिला महिला चिकित्सालय, लखीमपुर में रेडियोलॉजिस्ट के रूप में तैनात किया गया था। उस दिन तीन शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया था। उन्होंने बयान दिया है कि उन्होंने तीनों शवों का पोस्टमार्टम किया था। उन्होंने तीन मृतक व्यक्तियों में से प्रत्येक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उनके द्वारा देखी गई चोटों को दर्ज किया है। डॉ. शर्मा के अनुसार, तीनों मृतक व्यक्तियों की मृत्यु का कारण पूर्व-शव परीक्षण चोटों के परिणामस्वरूप सदमे और रक्तस्राव था। उन्होंने बयान दिया है कि उन्होंने तीनों शवों पर पोस्टमॉर्टम जलने के घाव भी देखे हैं। उन्होंने अपदस्थ कर दिया है कि चोटें बांका जैसे तेज धार वाले हथियार से लगी हो सकती हैं।

39. डॉ. ए. के. शर्मा, जहाँ तक पीडब्लू-5 के साक्ष्य का संबंध है, कुछ भी नहीं बदलता है।

40. अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-6, उमा शंकर मिश्रा से पूछताछ की है। संबंधित समय में, पीडब्लू-6, उमा शंकर मिश्रा उप-निरीक्षक, चौकी प्रभारी बहजम, पुलिस स्टेशन नीम गाँव, जिला लखीमपुर खीरी के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने बयान दिया है कि 24 नवंबर, 2010 को उन्हें धौरहरा पुलिस स्टेशन में तैनात किया गया था।

उनके अनुसार, अभियुक्त अपीलार्थी को 24.11.2010 पर गिरफ्तार किया गया और उसे हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में रहते हुए, आरोपी [2022] 5 एस. सी. आर.

कहा जाता है कि अपीलार्थी ने अपनी स्वतंत्र इच्छा और इच्छा पर उस स्थान को दिखाने के लिए एक बयान दिया था जहाँ उसने अपराध का हथियार यानी बांका और उसके खून से सने कपड़े छिपाए थे। पीडब्लू-6 के अनुसार,

ऐसा बयान अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा दिया जा रहा है, वह

जाँच अधिकारी, पीडब्लू-7 अभियुक्त अपीलार्थी के नेतृत्व में उस स्थान के लिए रवाना हो गए। कहा जाता है कि रास्ते में पीडब्लू-6 ने नामदार के रहने वाले रामेश्वर के बेटे छत्रपाल और अशरफी लाल के बेटे प्रताप-2 को उठाया।

खोज पंचनामा बनाने के उद्देश्य से पूर्वा पंच गवाह के रूप में कार्य करेगा। पीडब्लू-6 के अनुसार, अभियुक्त अपीलार्थी पुलिस दल को धनिया के खेत में ले गया और अपराध का हथियार यानी बांका और खून से सने कपड़े भी निकाल लिए। खोज पंचनामा तदनुसार साक्ष्य की धारा 27 के तहत तैयार किया गया था। अधिनियम, 1872। हम पीडब्लू-6 की प्रतिपरीक्षा पर गौर करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं क्योंकि प्रतिपरीक्षा में शायद ही कुछ है और हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है।

41. अभियोजन पक्ष ने जांच अधिकारी के रूप में पीडब्लू-7, इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह से पूछताछ की है। पीडब्लू-7 अपनी मुख्य परीक्षा में

पदच्युत कर दिया है कि उसने पीडब्लू-2, छत्रपाल रैदास और अन्य लोगों के बयान 23.01.2010 पर दर्ज किए थे। उन्होंने बयान दिया है कि उन्होंने 24.01.2010 पर अभियुक्त अपीलार्थी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने पदच्युत किया है कि उन्होंने 25.01.2010 पर पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 के बयान दर्ज किए हैं। पीडब्लू-7, योगेंद्र सिंह की प्रतिपरीक्षा में कुछ भी नहीं बदलता है।

42. हमारे लिए पीडब्लू-8 के साक्ष्य पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है।

डॉ. एस. पी. सिंह डॉ. सिंह ने मृतक तुलसी और संगीता का पोस्टमार्टम किया था।

43. अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-9, डॉ. अंकित कुमार सिंह से पूछताछ की है। पीडब्लू-9 के अनुसार, अभियुक्त अपीलार्थी को सी. एच. सी. धौरहरा में 10 बजे 22.01.2010 पर लाया गया थाः 30 मेडिकल जांच के लिए सुबह। उन्होंने पदच्युत किया है कि 22.01.2010 पर वे सी. एच. सी. धौरहरा में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी थे। उन्होंने गवाही दी है कि आरोपी अपीलार्थी रामानंद को धौरहरा पुलिस स्टेशन के सिपाही बृज मोहन सिंह द्वारा एक पुलिस यदी के साथ सी. एच. सी. धौरहरा लाया गया था। अभियुक्त अपीलार्थी की चिकित्सीय जाँच के दौरान, उसने अभियुक्त अपीलार्थी के शरीर पर निम्नलिखित चोटें देखीः

" 1. सिर के बाईं ओर 2 से. मी. x 0.5 से. मी. घाव, बाएं कान से 10 से. मी. ऊपर।

रामानंद @नंदलाल भारती बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

2. सिर के बीच में 5 सेमी x 0.5 सेमी घाव; 2 सेमी

चोट 1 से दूर।

3. सिर के बीच में घाव 4.5 सेमी x 0.5 सेमी;

चोट संख्या 2 से सेमी दूर।

4. गर्दन के बाईं ओर 8 सेमी x 6 लंबाई में सतही जलन की चोट

से. मी.

5. गर्दन के दाहिने हिस्से में 10 सेमी x 7 लंबाई में सतही जलन की चोट

सेमी "। 44. डॉ. सिंह ने आगे कहा कि सभी चोटें साधारण थीं।

प्रकृति में और ताजा। चिकित्सीय जाँच के दौरान, अभियुक्त अपीलार्थी के कपड़ों से मिट्टी के तेल की बदबू आ रही थी। क्रॉस परीक्षा में डॉ. सिंह के बारे में, उन्होंने कहा है कि चोटों की संख्या। 1 , 2 और 3 अभियुक्त अपीलार्थी की चिकित्सीय जाँच के दौरान नोट किया गया जवाब हो सकता है

एक बंदूक के बट के कारण हुआ। उन्होंने उस चोट को अपदस्थ कर दिया है। 4 और बचाव करने की कोशिश करते समय अभियुक्त अपीलार्थी को 5 उत्तरों का सामना करना पड़ सकता था। उन्होंने गवाही दी है कि अभियुक्त अपीलार्थी की चिकित्सीय जांच के समय, घावों से कोई ताजा रक्तस्राव नहीं हुआ था। सूती कपड़े से घावों को साफ करते समय खून बहने लगा। उन्होंने कहा कि चोटें 12 घंटे पुरानी नहीं हो सकती थीं।

स्वीकृति से संबंधित कानून के सिद्धांत

पारस्परिक प्रमाण का

45. 'न्यायिक साक्ष्य पर एक ग्रंथ' में, जेरेमी बेंथम, एक

अंग्रेजी दार्शनिक ने एक पूरा अध्याय शामिल किया कि आगे क्या है जब प्रत्यक्ष साक्ष्य किसी विशेष निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाता है। इसे परिवेशीय साक्ष्य कहा जाता है। उनके अनुसार, हर मामले में,

परिस्थितिजन्य साक्ष्य, हमेशा कम से कम दो तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिएः ए) तथ्य प्रोबैंडम, या कहें, प्रमुख तथ्य (वह तथ्य जिसका अस्तित्व माना जाता है या साबित करने के लिए प्रस्तावित किया जाता है; और

ख) फैक्टम प्रोबन्स या साक्ष्य तथ्य (वह तथ्य जिसके अस्तित्व से फैक्टम प्रोबैंडुमिस का अनुमान लगाया गया है)। 46. यद्यपि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मूल्यांकन के लिए कोई सीधा सूत्र नहीं हो सकता है, फिर भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए, न्यायालय को कुछ परीक्षणों का पालन करना चाहिए जो मोटे तौर पर निम्नानुसार हैं:

ऐसी परिस्थितियाँ जिनसे अपराध का अनुमान लगाया जाता है

1 .

खींचने के लिए ठोस और दृढ़ता से स्थापित होना चाहिए;

वे परिस्थितियाँ एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए

2 .

निर्दोष रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हुए और

प्रकृति में निर्णायक बनें;

3 .

यदि परिस्थितियों को संचयी रूप से लिया जाए, तो एक

श्रृंखला इतनी पूर्ण है कि इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध किया गया था

अभियुक्त द्वारा और कोई और नहीं; और दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य

4 .

अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में पूर्ण और असमर्थ होना चाहिए, लेकिन

उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होना। दूसरे शब्दों में, परिस्थितियों को हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए।

सिवाय उसके जिसे साबित किया जाना है।

47. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों में से एक है क्योंकि इसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं था।

घटना। यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि यदि कोई अभियुक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में भी दोषी पाया जाता है तो उसे दंडित किया जा सकता है बशर्ते कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे घटनाओं और परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला को साबित करने में सक्षम हो जो निश्चित रूप से संदिग्ध या अभियुक्त की संलिप्तता और दोषी की ओर इशारा करता है, जैसा भी मामला हो।

अभियुक्त केवल इसलिए बरी होने का हकदार नहीं होगा क्योंकि मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। यह भी उतना ही सच है कि किसी अभियुक्त को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है, बशर्ते उस संबंध में अपेक्षित सिद्धांतों की संतुष्टि हो।

48. शरद बर्धीचंद मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ

सारदा वी. महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एस. सी. सी. 116, निम्नानुसार आयोजित किया गयाः

" 152. उच्च न्यायालय द्वारा निर्भर मामलों पर चर्चा करने से पहले

अदालत में हम प्रकृति पर कुछ निर्णयों का हवाला देना चाहेंगे,

आपराधिक मामले में चरित्र और आवश्यक सबूत की आवश्यकता होती है जो केवल परिस्थितिजन्य सबूत पर निर्भर करता है। इस न्यायालय का सबसे मौलिक और बुनियादी निर्णय हनुमंत बनाम है। की स्थिति

मध्य प्रदेश [ए. आई. आर 1952 एस. सी. 343 1952 एस. सी. आर. 1091: 1953

क्रि एलजे 129]। इस मामले का समान रूप से पालन किया गया है और इस न्यायालय द्वारा बड़ी संख्या में बाद के फैसलों में आज तक लागू किया गया है, अमानंद @नंदलाल भारती बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

उदाहरण के लिए, तुफैल (उपनाम) सिम्मी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [(1969) 3 एससीसी 198: 1970 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 55] और रामगोपाल बनाम। महाराष्ट्र राज्य [(1972) 4 एस. सी. सी 625: ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 656] न्यायमूर्ति महाजन ने हनुमंत मामले [ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343 1952 एस. सी. आर. 1091 1953 सी. आर. आई. एल. जे. 129] में जो कहा है, उसे निकालना उपयोगी हो सकता हैः

यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, वे परिस्थितियाँ जिनसे

अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए पहली बार में पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस तरह से स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। एक बार फिर, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि हर परिकल्पना को बाहर कर दिया जाए, लेकिन जिसे साबित करने का प्रस्ताव है। दूसरे शब्दों में, अब तक सबूतों की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ती है और यह ऐसा होना चाहिए जो यह दिखा सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

153. इस निर्णय के बारीकी से विश्लेषण से पता चलेगा कि उनके खिलाफ मामले से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।

एक अभियुक्त को पूरी तरह से स्थापित कहा जा सकता हैः

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकलता है

जिसे खींचा जाना है वह पूरी तरह से स्थापित होना चाहिए।

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि

संबंधित परिस्थितियों 'चाहिए या चाहिए' और 'नहीं' को 'स्थापित' किया जा सकता है। केवल एक व्याकरण नहीं है बल्कि एक कानूनी है

'साबित किया जा सकता है' और 'होना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए' के बीच का अंतर जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव में कहा था

बोबडे वी. महाराष्ट्र राज्य [(1973) 2 एससीसी 793: 1973 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1033: 1973 क्रि एल. जे. 1783] जहाँ निम्नलिखित

टिप्पणियाँ की गईंः [एससीसी पैरा 19, पी। 807 : एस. सी. सी. (सी. आर. आई) पी. 1047]

निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले अभियुक्त को दोषी होना चाहिए और न कि केवल दोषी होना चाहिए।

और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और अस्पष्ट अनुमानों को कुछ निष्कर्षों से विभाजित करती है।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात वे किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए

और प्रवृत्ति,

(4) उन्हें हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए सिवाय इसके कि

जिसे साबित किया जाना है, और

(5) सबूतों की एक श्रृंखला इतनी पूरी होनी चाहिए कि

अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप और उसे दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य द्वारा किया गया होगा

154. ये पाँच सुनहरे सिद्धांत, यदि हम ऐसा कहें, तो परिस्थिति पर आधारित मामले के प्रमाण का पंचशील बनाते हैं। सबूत "।

49. टी. और जे. डब्ल्यू. जॉनसन एंड कंपनी 1872 द्वारा एम विल्स द्वारा परिवेशीय साक्ष्य के सिद्धांतों पर एक निबंध में, इसकी व्याख्या की गई है:

" प्रत्यक्ष गवाही के मामलों में, यदि रिलेटरों को विश्वास दिया जाता है, तो सुनने का कार्य और विश्वास का कार्य, हालांकि वास्तव में ऐसा नहीं है, समकालीन प्रतीत होता है। लेकिन मामला बहुत

अलग जब हमें परिस्थिति पर निर्धारण करना होता है

साक्ष्य, जिसके संबंध में निर्णय अनिवार्य रूप से है

अनुमानात्मक। कोई स्पष्ट आवश्यक संबंध नहीं है

तथ्यों और निष्कर्ष के बीच; तथ्य सच हो सकते हैं,

और अनुमान गलत है, और यह केवल तुलना से है

परिस्थितियाँ, कि हम सटीकता में विश्वास प्राप्त करते हैं हमारे निष्कर्ष। ? " "

प्रेज़म्प्टिव शब्द का उपयोग अक्सर पर्याय के रूप में किया जाता है।

CIRCUMSTANTIAL EVITENCE के साथ; लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जाता है

सख्त सटीकता, शब्द "अनुमान", एक्स vi टर्मिनि, तथ्यों से एक अनुमान का आयात करता है; और सहायक "अनुमानित", के रूप में

साक्ष्य तथ्यों पर लागू किया जाता है, कुछ की निश्चितता का तात्पर्य है तथ्यों और अनुमान के बीच संबंध।

परिस्थितियाँ रामानंद @नंदलाल भारती बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

आम तौर पर, लेकिन आवश्यक रूप से नहीं, विशेष निष्कर्षों की ओर ले जाता है; क्योंकि तथ्य निर्विवाद हो सकते हैं, और फिर भी उनके संबंध

मुख्य तथ्य केवल स्पष्ट हो सकता है, और वास्तविक नहीं हो सकता है; और जब संबंध वास्तविक हो, तब भी कटौती गलत हो सकती है। इसलिए, परिस्थितिजन्य और अनुमानित साक्ष्य अलग-अलग हैं।

वंश और प्रजातियाँ।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य का बल और प्रभाव निर्भर करता है।

तथ्य की सच्चाई के अलावा किसी अन्य अनुमान के साथ इसकी असंगतता और स्पष्टीकरण या समाधान की असमर्थता पर, जिसे साबित करने के लिए इसे प्रस्तुत किया गया है; तर्क का तरीका रिडक्टियो विज्ञापन द्वारा प्रदर्शन की विधि के समान

मूर्खतापूर्ण "।

50. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को उपरोक्त तय किए गए कानूनी प्रस्तावों के आलोक में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले पर विचार करना चाहिए।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, निर्णय अनिवार्य रूप से अनुमानित रहता है। अनुमान स्थापित तथ्यों से लिया जाता है क्योंकि परिस्थितियाँ विशेष निष्कर्षों की ओर ले जाती हैं। न्यायालय को इस संबंध में एक निष्कर्ष निकालना होगा कि क्या परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण है, और जब उसमें परिस्थितियों पर सामूहिक रूप से विचार किया जाता है, तो यह केवल इस अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर ले जाना चाहिए कि केवल अभियुक्त ही विचाराधीन अपराध का अपराधी है। इस प्रकार स्थापित सभी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए, और केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए।

शामिल होने वाली स्थितियों का विश्लेषण

ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा विश्वास किया गया

न्यायालय

अपराध के हथियार की खोज और

खून से बने कपड़े

51. अभियोजन पक्ष का मामला है कि 24.01.2010 पर अभियुक्त अपीलार्थी को जाँच अधिकारी द्वारा पास की बस से उठाया गया था

खड़ा था और कथित अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त अपीलार्थी की गिरफ्तारी के बाद और पुलिस थाने में हिरासत में रहते हुए, कहा जाता है कि उसने अपनी मर्जी और इच्छा से एक बयान दिया था कि वह उस जगह की ओर इशारा करना चाहेगा जहां उसने अपराध के हथियार (बांका) और उसके खून से सने कपड़ों को छिपाया था।

कथित अपराध का कमीशन। उनके अनुसार, अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा इस तरह का बयान दिए जाने के बाद, उन्होंने अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर [2022] 5 एस. सी. आर. निर्धारित किया।

अभियुक्त के नेतृत्व में उस स्थान के लिए आगे बढ़ें। कुछ बहुत ही असामान्य है, जो हमने जाँच अधिकारी के मौखिक साक्ष्य में देखा है। उनके अनुसार जब पुलिस दल अभियुक्तों के साथ अपने रास्ते पर था, अचानक जांच अधिकारी को एहसास हुआ कि खोज का पंचनामा बनाने के उद्देश्य से उसके साथ दो स्वतंत्र गवाह होने चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में, रास्ते में जांच अधिकारी ने पीडब्लू-2, छतरपाल रैदास और प्रताप को पंच गवाह के रूप में काम करने के लिए उठाया। जाँच अधिकारी के अनुसार आरोपी उन्हें धनिया के खेत में ले गया और एक झाड़ी से उसने अपराध का हथियार (बांका) और खून से सने कपड़े निकाले। उपस्थिति में अपराध का हथियार और खून से सने कपड़े एकत्र किए गए थे

दो पंच गवाहों और पंचनामा एक्श। 5 तदनुसार खींचा गया था। अपराध के हथियार और उसके बाद खून से सने कपड़ों को सीरोलॉजिकल परीक्षण के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया। हमारा विचार है कि निम्न न्यायालयों ने एक गंभीर त्रुटि की है।

एक तथ्य की खोज के साक्ष्य के इस टुकड़े पर भरोसा करते हुए, यानी, आरोपी के कहने पर हथियार और कपड़े एक अपराधी के रूप में

अन्य परिस्थितियों की श्रृंखला में स्थितियाँ। हम यहाँ नीचे समझाएँगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं।

52. साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 इस प्रकार है:

" 27. अभियुक्त से प्राप्त कितनी जानकारी साबित हो सकती है। — बशर्ते कि, जब किसी तथ्य को अपदस्थ कर दिया जाता है

एक से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप पाया गया

किसी भी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति, एक पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में, ऐसी बहुत सी जानकारी, चाहे वह स्वीकारोक्ति के बराबर हो या नहीं, जो इस तरह से खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है, साबित की जा सकती है।

53. यदि जाँच अधिकारी के बारे में यह कहा जाता है कि अभियुक्त अपीलार्थी ने अपनी स्वतंत्र इच्छा और इच्छा पर हिरासत में रहते हुए यह बयान दिया है कि

वह उस स्थान पर ले जाता जहाँ उसने अपने खून से सने कपड़ों के साथ अपराध के हथियार को छिपा दिया था, फिर जांच अधिकारी को सबसे पहले दो स्वतंत्र गवाहों को बुलाना चाहिए था। खुद पुलिस स्टेशन। एक बार जब दो स्वतंत्र गवाह पुलिस थाने में उनकी उपस्थिति में पहुंच जाते हैं, तो आरोपी को उस स्थान की ओर इशारा करने के संबंध में एक उचित बयान देने के लिए कहा जाना चाहिए जहां उसने अपराध के हथियार को छिपाया था। जब अभियुक्त अभिरक्षा में रहते हुए दो स्वतंत्र गवाहों (पंच गवाहों) के सामने ऐसा बयान देता है तो सटीक बयान या रामानंद @नंदलाल भारती बनाम।

बल्कि अभियुक्त द्वारा कहे गए सटीक शब्दों को पंचनामे के पहले भाग में शामिल किया जाना चाहिए जो जाँच अधिकारी कानून के अनुसार निकाल सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रयोजन के लिए पंचनामे का यह पहला भाग हमेशा स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में पुलिस स्टेशन में तैयार किया जाता है ताकि यह विश्वास हो सके कि आरोपी द्वारा एक विशेष बयान उस स्थान को इंगित करने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा और इच्छा व्यक्त करते हुए दिया गया था जहां अपराध के हथियार या अपराध करने में उपयोग की गई किसी अन्य वस्तु को छिपाया गया था। एक बार पंचनामे का पहला भाग है

इसके बाद पुलिस दल अभियुक्त और दो स्वतंत्र गवाहों (पंच गवाह) के साथ उस विशेष स्थान पर आगे बढ़ेगा जिसका नेतृत्व अभियुक्त कर सकता है। यदि उस विशेष स्थान से कुछ भी जैसे अपराध का हथियार या खून से सने कपड़े या किसी भी अन्य वस्तु की खोज की जाती है तो पूरी प्रक्रिया का वह हिस्सा पंचनामे का दूसरा भाग बन जाएगा। इस तरह कानून जांच अधिकारी से साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत विचार के अनुसार खोज पंचनामा बनाने की उम्मीद करता है। यदि हम जाँच अधिकारी के पूरे मौखिक साक्ष्य को पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट है कि मामले के सभी उपरोक्त प्रासंगिक पहलुओं में इसकी कमी है।

54. हम खोज के साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए तैयार या अनिच्छुक क्यों नहीं हैं, इसका कारण यह है कि जांच अधिकारी अपने मौखिक में

सबूत ने पुलिस स्टेशन में आरोपी द्वारा कहे गए सटीक शब्दों के बारे में नहीं कहा है। खोज के साक्ष्य को खारिज करने का दूसरा कारण यह है कि जांच अधिकारी खोज पंचनामे की सामग्री को साबित करने में विफल रहे हैं। साक्ष्य को खारिज करने का तीसरा कारण यह है कि भले ही जांच अधिकारी के पूरे मौखिक साक्ष्य को स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन इसमें छिपाने के लेखन की कमी है। खोज के साक्ष्य को खारिज करने का चौथा कारण यह है कि हालांकि पंच गवाहों में से एक पीडब्लू-2, छतरपाल रैदास से मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ की गई थी, फिर भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा है कि उन्होंने हथियार की खोज के उद्देश्य से पंच गवाह के रूप में भी काम किया था

अपराध और खून से सने कपड़े। दूसरे पंच गवाह, प्रताप, हालांकि उपलब्ध थे, से अभियोजन पक्ष ने किसी कारण से पूछताछ नहीं की। इसलिए, अब हमारे पास सबूत बचे हैं

जहाँ तक अपराध के हथियार और खून से सने कपड़ों की खोज का संबंध है, जांच अधिकारी परिस्थितियों के दोषपूर्ण टुकड़ों में से एक है। हम कानून की स्थिति से अवगत हैं कि भले ही खोज पंचनामे के स्वतंत्र गवाहों की जांच नहीं की जाती है या खोज के समय कोई गवाह मौजूद नहीं था या [2022] 5 एस. सी. आर.

कानून के एक प्रस्ताव के रूप में यह निर्धारित करना मुश्किल है कि पुलिस अधिकारी द्वारा इस तरह से तैयार किए गए दस्तावेज़ को दूषित और खोज साक्ष्य को अविश्वसनीय माना जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय को जांच अधिकारी के साक्ष्य पर विचार करना पड़ता है, जिसने आरोपी से उसके स्वयं के मूल्य पर प्राप्त बयान के आधार पर खोज के तथ्य पर गवाही दी थी। 55. कानून के उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, हम जांच अधिकारी के साक्ष्य को न केवल अविश्वसनीय पाते हैं, बल्कि हम इस हद तक कह सकते हैं कि यह कानूनी साक्ष्य नहीं है।

56. खोज के साक्ष्य को स्वीकार करने से पहले कानून की आवश्यकता जिसे पूरा करने की आवश्यकता है, वह है पंचनामे की सामग्री को साबित करना। जाँच अधिकारी अपने बयान में पंचनामे की सामग्री को साबित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है और यह केवल तभी है जब जाँच अधिकारी खोज पंचनामे की सामग्री को सफलतापूर्वक साबित कर चुका हो।

ऐसे साक्ष्य पर भरोसा करने में और निचली अदालत भी साक्ष्य को स्वीकार कर सकती है। वर्तमान मामले में, जांच अधिकारी, पीडब्लू-7, योगेंद्र सिंह के मौखिक साक्ष्य से हमने जो देखा है, वह यह है कि उन्होंने खोज पंचनामे की सामग्री को साबित नहीं किया है और उन्होंने जो कुछ भी गवाही दी है, वह यह है कि जैसा कि आरोपी ने अपराध के हथियार को इंगित करने की इच्छा व्यक्त की है, वही पंचनामे के तहत पाया गया था। हम सबूत के इस हिस्से को बारीकी से देख चुके हैं जाँच अधिकारी और आश्वस्त हैं कि कल्पना के किसी भी विस्तार से यह नहीं कहा जा सकता है कि जाँच अधिकारी ने खोज पंचनामा (Exh.5) की सामग्री को साबित कर दिया है। एक कारण है कि हम पंचनामे की सामग्री को अंत में साबित करने पर जोर दे रहे हैं।

जांच अधिकारी, विशेष रूप से जब स्वतंत्र पंच गवाहों ने अभी तक इस तरह की खोज के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है या शत्रुतापूर्ण रुख अपनाया है और अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है। ताकि न्यायालय जांच के साक्ष्य पर सुरक्षित रूप से भरोसा कर सके। अधिकारी, यह आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा दिए गए सटीक शब्दों को, उसके द्वारा दिए गए बयान के रूप में, अभिलेख पर लाया जाए और इस उद्देश्य के लिए जांच अधिकारी अपने साक्ष्य में सटीक बयान देने के लिए बाध्य है।

बयान और केवल यह कहने से नहीं कि अपराध के हथियार का एक खोज पंचनामा तैयार किया गया था क्योंकि आरोपी इसे एक विशेष स्थान से बाहर निकालने के लिए तैयार था।

अमानंद @नंदलाल भारती बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

57. आइए देखें कि खोज में वास्तव में क्या कहा गया है

ınama (Exh.5) 24.01.2010 पर खींचा गया है। हम प्रासंगिक भाग उद्धृत करते हैं

देरः

" आज 24.1.2010 पर गिरफ्तार आरोपी रामानंद उर्फ

नामदार निवासी स्वर्गीय श्री गोबरे के पुत्र नंदलाल भारती

पुरवा, हैमलेट-अमेठी, गाँव का मूल निवासी

बसदिया, पुलिस स्टेशन-इसानगर, जिला-लखीमपुर

और फिर मुझसे पूछताछ की-स्टेशन हाउस ऑफिसर हमराह एस. एस. आई. श्री उमा शंकर के समक्ष योगेंद्र सिंह

मिश्रा, एस. आई. श्री नंद कुमार, कं. 374 एमओ। उस्मान, कं. 598

श्रवण कुमार ने तब अपराध स्वीकार किया घटना और रोते हुए माफी मांगते हुए कहा कि,

" मैंने खुद सरकारी अनुदान पाने के लिए यह अपराध किया है।

एक अमीर आदमी होने और किमी से शादी करने के लिए। मंजू डी/ओ कन्हई,

पकडिया का निवासी, पुलिस स्टेशन-तंबौर, जिला-सीतापुर जिसके बारे में विस्तृत बयान दर्ज किया गया है

आपके द्वारा। घटना में इस्तेमाल किया गया बांका और पैंट-शर्ट,

जिस पर मृतक व्यक्तियों के शवों से खून बह गया था

दाग लग गया और जिसे मैंने डर के कारण टाल दिया था,

फरार आरोपी रामानंद उर्फ नंदलाल भारती आधिकारिक जीप यूपी70 एजी0326 द्वारा चालक राज किशोर के साथ

अभियुक्त द्वारा बताए गए गंतव्य के लिए दीक्षित, वीडियो रपत

[जोर दिया गया]

सं.-7 समय 07.15 "।

58. अब हम पीडब्लू-7 के मौखिक साक्ष्य पर गौर करेंगे,

जिसमें उन्होंने अपनी जाँच में प्रमुख अधिकारी को पदच्युत किया हैः

" जनवरी 2010 में मुझे स्टेशन हाउस अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था।

उपरोक्त मामले की जाँच। उस दिन मैंने चिक की नकल की थी, बलात्कार किया और चिक लेखक एच. कांस्टेबल के बयान दर्ज किए

धनीराम वर्मा और मामले के शिकायतकर्ता। रिकॉर्डिंग के बाद

मामले के शिकायतकर्ता शंभू रैदास I [2022] 5 एस. सी. आर. का बयान।

उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया और तैयारी की

स्थल योजना जो अभिलेख पर मौजूद है; जिस पर प्रदर्शन किया जाता है

का-6 को चिह्नित किया गया है। और मैंने बयान भी दर्ज किया था।

सुनी सुनाई बातों के गवाह अहमद हुसैन और निजामुद्दीन हैं। उस पर 23.1.10 , मैंने गवाह क्षत्रपाल के बयान दर्ज किए,

रुस्तम रैदास। आई. डी. 1 पर मैंने आरोपी रामानंद को गिरफ्तार किया।

और अपना बयान दर्ज किया और जब उन्होंने यह व्यक्त किया-वह

घटना में इस्तेमाल किया गया हत्या का हथियार बरामद हो सकता है, मैं

गवाहों के सामने हत्या का हथियार बांका बरामद किया गया उसके इशारा करने पर; जिसे सील कर दिया गया था-पर मुहर लगा दी गई थी

मौके पर और उसका वसूली ज्ञापन तैयार किया गया था

स्वयं, जो प्रदर्शनी का-5 के रूप में अभिलेख पर मौजूद है। '

[जोर दिया गया]

59. हम पीडब्लू-6, उमा के मौखिक साक्ष्य पर भी गौर करेंगे।

कर मिश्रा जो प्रासंगिक समय पर एक के रूप में सेवा कर रहे थे

इंस्पेक्टर चौकी प्रभारी बहजम, पुलिस स्टेशन। ऐसा प्रतीत होता है कि

पीडब्लू-6 ने भी खोज की कार्यवाही में भाग लिया था।

नाम। उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में निम्नानुसार अपदस्थ किया हैः

" 24.11.2010 पर, मुझे पुलिस स्टेशन-धौरहरा में तैनात किया गया था।

उस दिन, रामानंद पुत्र गोब्रे रियो नामदार पुरवा, पुलिस

थाना-धौरहरा, गाँव बसढिया का अधिवास, पुलिस

थाना-ईशा गंज, जिला-खीरी, गिरफ्तार आरोपी

अपराध सं. 49/10 यू/एस. 302 राज्य बनाम रामानंद उर्फ नंदलाल

भारती को तत्कालीन प्रभारी ने पुरुष हवालात से बाहर निकाला था

निरीक्षक और अनुयायी एस. आई. नंद कुमार, कं। मो. उस्मान,

कं. प्रभु दयाल, कं. संतोष कुमार सिंह एंड कं. श्रवण

कुमार, और प्रभारी निरीक्षक द्वारा मुझसे पूछताछ की गई

उपस्थिति, जिसके दौरान उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि वह

हत्या में इस्तेमाल किया गया हत्या का हथियार बरामद करें और उसका

खून से सना पैंट-शर्ट जिसे उसने गुप्त रूप से छिपा कर रखा था

जगह। इस पर, हत्या के हथियार की बरामदगी की उम्मीद और

खून से सने कपड़े, एस. एच. ओ. अनुयायियों और बल के साथ, आरोपी रामानंद को अपने साथ लेकर एक अधिकारी के साथ चला गया

जीप जी. डी. नंबर 7 टाइम 7: 15 a. m दिनांकित 24.01.2010। उस पर

जिस तरह से उन्होंने सार्वजनिक गवाह छत्रपाल एस/ओ को उठाया रामेश्वर और प्रताप पुत्र अशरफी लाल, दोनों निवासी

पुनर्प्राप्ति के उद्देश्य से नामदार पुरवा, हैमलेट-अमेठी।

[जोर दिया गया] रामानंद @नंदलाल भारती बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

60. उपरोक्त से दो बातें स्पष्ट हैं। मूल में

पंचनामा (Exh.5), बयान के बारे में कहा जाता है कि यह अभियुक्त अपीलार्थी आंकड़ों द्वारा दिया गया है, हालांकि, पीडब्लू-7, जांच अधिकारी और पीडब्लू-6, उप-निरीक्षक के मौखिक साक्ष्य में सटीक बयान को अपदस्थ नहीं किया गया है, विशेष रूप से जब छिपाने के लेखक की बात आती है। द.

पंचनामे की सामग्री को साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि वे ठोस साक्ष्य नहीं हैं।

61. इसके अलावा, पीडब्लू-6 के परीक्षा-प्रमुख, उप-निरीक्षक

और पी. डब्ल्यू.-7, जांच अधिकारी यह संकेत नहीं देता है कि पंचनामे (Exh.5) को प्रदर्शित करने से पहले उन्हें पढ़ा गया था, क्योंकि पंच गवाहों में से एक की जांच नहीं की गई थी और दूसरे पंच गवाह ने हालांकि जांच की गई थी, फिर भी खोज पंचनामे की कार्यवाही के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। इसके बाद सब कुछ मौखिक साक्ष्य पर गिर गया

जाँच अधिकारी और उप-निरीक्षक (पीडब्लू-6)।

62. उपरोक्त संदर्भ में, हम उल्लेख कर सकते हैं और इस पर भरोसा कर सकते हैं

मुरली बनाम के मामले में इस न्यायालय का निर्णय। राजस्थान राज्य ने बताया

(2009) 9 एस. सी. सी. 417 में निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

" 34. पंचनामे की सामग्री मूल नहीं है।

सबूत। उस मुद्दे पर कानून बनाया जाता है। मौलिक क्या है

सबूत वह है जो पंचों या व्यक्ति द्वारा कहा गया है। गवाह बक्से में चिंतित।

[जोर दिया गया]

63. एक और गंभीर बीमारी जो सामने आई है, उसके संबंध में है।

उस व्यक्ति द्वारा छिपाने के लेखक के लिए जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने हथियार की खोज की थी।

64. धारा 27 की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक शर्तें

अधिनियम के मोटे तौर पर निम्नानुसार हैंः

(1) किसी सूचना के परिणामस्वरूप तथ्य की खोज

अभियुक्त से प्राप्त;

(2) पदच्युत किए जाने वाले ऐसे तथ्य की खोज;

(3) जब उसने दिया तो आरोपी को पुलिस हिरासत में होना चाहिए

जानकारी; और

(4) इतनी जानकारी जो स्पष्ट रूप से तथ्य से संबंधित है

इस प्रकार की खोज स्वीकार्य है-मोहम्मद इनायतुल्ला बनाम।

महाराष्ट्र राज्यः आकाशवाणी (1976) एससी 483 [2022] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आवेदन के लिए दो शर्तें

-

(1) जानकारी ऐसी होनी चाहिए जो खोज का कारण बनी हो

तथ्य; और

(2) जानकारी को स्पष्ट रूप से खोजे गए तथ्य से संबंधित होना चाहिए-ईयरभद्रप्पा बनाम। कर्नाटक राज्यः आकाशवाणी (1983) एससी

446 "

65. हम संविधान पीठ के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम के मामले में न्यायालय है। देवमान

इह्या ने ए. आई. आर. (1960) एस. सी. 1125 में प्रतिवेदन दिया, जिसमें पैराग्राफ-71 साक्ष्य की धारा 27 के संबंध में कानून की स्थिति का उल्लेख करता है।

" 71. इस प्रकार कानून ने अभियुक्त व्यक्तियों का वर्गीकरण किया है।

दो में विभाजित करेंः (1) जिन लोगों को खतरा है उन्हें घर लाया गया उन्हें एक आरोप पर हिरासत में; और (2) वे जो अभी तक नहीं हैं

मुफ़्त। पूर्व श्रेणी में वे व्यक्ति भी हैं जो

पहली श्रेणी से संबंधित कानून ने फैसला सुनाया है कि उनके कथन स्वीकार्य नहीं हैं, और दूसरे के मामले में

एक प्रासंगिक अज्ञात तथ्य की खोज द्वारा गारंटी दी जाती है जाँच अधिकारी के बयान से पहले। कि

बयान प्रकृति में इकबालिया भी हो सकता है, जैसे कि जब

हिरासत में लिया गया व्यक्ति कहता हैः " मैंने उसे इस तरह नीचे धकेल दिया

माइनशाफ्ट ", और परिणामस्वरूप पीड़ित का शरीर पाया जाता है,

और यह साबित किया जा सकता है कि उनकी मृत्यु प्राप्त चोटों के कारण हुई थी

माइनशाफ्ट के नीचे गिरने से।

[जोर दिया गया]

66. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का दायरा और दायरा था -

पुलुकुरी कोट्टाया और अन्य बनाम में स्पष्ट रूप से कहा गया है। सम्राट, आकाशवाणी

पी. सी. 67, जो निम्नलिखित शब्दों में लोकस क्लासिकस बन गया हैः

" 10. ..... भीतर खोजे गए "तथ्य" का इलाज करना गलत है।

उत्पादित वस्तु के समतुल्य खंड; तथ्य

खोजा गया उस स्थान को गले लगाता है जहाँ से वस्तु है

प्रस्तुत किया गया और अभियुक्त को इस बारे में जानकारी दी गई, और

दी गई जानकारी इस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित होनी चाहिए।

रामानंद @नंदलाल भारती बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

उत्पादित वस्तु के पिछले उपयोगकर्ता, या पिछले इतिहास के बारे में जानकारी उस सेटिंग में इसकी खोज से संबंधित नहीं है जिसमें इसे खोजा गया है। हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी

कि "मैं अपने घर की छत में छुपा कर एक चाकू लाऊंगा" चाकू की खोज की ओर नहीं ले जाता है; चाकू थे

कई साल पहले खोजा गया। यह इस तथ्य की खोज की ओर ले जाता है कि सूचना देने वाले के घर में उसके ज्ञान के अनुसार एक चाकू छुपाया जाता है, और यदि चाकू का उपयोग अपराध करने में किया गया साबित होता है, तो पाया गया तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है।

प्रासंगिक। लेकिन अगर बयान में "जिसके साथ मैंने ए को चाकू मारा" शब्द जोड़े जाते हैं तो ये शब्द अस्वीकार्य हैं क्योंकि वे व्यक्ति के घर में चाकू की खोज से संबंधित नहीं हैं।

सूचना देने वाला "।

67. पंचनामे के रूप में साक्ष्य से जो सामने आता है वह यह है कि अपीलार्थी ने पंच गवाहों के समक्ष इस आशय का कथन किया है कि

" मैं आपको अपराध करने में इस्तेमाल किया गया हथियार दिखाऊंगा। यह

यह सटीक बयान है जिसे हम खोज पंचनामे से पढ़ सकते थे और पंचनामे में जो दर्ज किया गया है, उसके अलावा सटीक बयान के संबंध में जांच अधिकारी भी गवाही नहीं दे सकते थे। इस कथन से यह संकेत नहीं मिलता है कि अपीलार्थी ने हथियार को छिपाने में अपनी संलिप्तता के बारे में कुछ भी संकेत दिया है। केवल खोज

हथियार की खोज करने वाले व्यक्ति द्वारा छिपाने के लेखक का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त के रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती है। वह किसी अन्य स्रोत के माध्यम से उस स्थान पर उस हथियार के अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता था। हो सकता है कि उसने किसी को हथियार छिपाते हुए भी देखा हो, और इसलिए, यह अनुमान या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि किसी व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। हथियार, वह वह व्यक्ति था जिसने इसे छुपाया था, कम से कम यह माना जा सकता है कि उसने इसका इस्तेमाल किया था। इसलिए, भले ही अपीलार्थी द्वारा खोज को स्वीकार कर लिया जाए, हथियार की खोज के पंचनामे और इस संबंध में साक्ष्य से जो सामने आता है वह यह है कि उसने खुलासा किया कि वह अपराध करने में उपयोग किए गए हथियार को दिखाएगा। इसी तरह हमने पंचनामा Exh.32 का भी अवलोकन किया है जिसमें कहा गया है कि

अभियुक्त द्वारा पंचों के सामने सटीक शब्दों में कहा गया है कि "रोघाड़ा गाँव का अभियुक्त निवासी अपनी मर्जी से नकदी और अन्य कीमती सामान निकालने की सूचना देता है"।

68. जाँच अधिकारी के साक्ष्य से जो पता चलता है वह यह है कि अभियुक्त अपीलार्थी ने हिरासत में रहते हुए अपने सामने कहा था, "मुझे घटना में इस्तेमाल किए गए हत्या के हथियार का पता चल सकता है"।

बयान से यह संकेत या सुझाव नहीं मिलता है कि अभियुक्त अपीलार्थी ने हथियार को छिपाने में अपनी संलिप्तता के बारे में कुछ भी संकेत नहीं दिया है। यह एक अस्पष्ट कथन है। केवल खोज को पर्याप्त नहीं माना जा सकता है

हथियार की खोज करने वाले व्यक्ति द्वारा छिपाने के लेखक का अनुमान लगाएं। वह उस हथियार के अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता था

किसी अन्य स्रोत के माध्यम से भी।

हो सकता है कि उसने किसी को हथियार छिपाते हुए देखा हो, और,

इसलिए, यह अनुमान या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि क्योंकि एक व्यक्ति

हथियार की खोज की, वह वह व्यक्ति था जिसने इसे छुपाया था, कम से कम यह माना जा सकता है कि उसने इसका इस्तेमाल किया था। इसलिए, भले ही अपीलार्थी द्वारा खोज को स्वीकार कर लिया जाए, हथियार की खोज के संबंध में ठोस साक्ष्य से जो सामने आता है वह यह है कि अपीलार्थी ने खुलासा किया कि वह अपराध करने में उपयोग किए गए हथियार को दिखाएगा।

69. दूध नाथ पांडे बनाम। यू. पी. राज्य, ए. आई. आर. (1981) एस. सी. 911, इस न्यायालय ने कहा कि घटना में पिस्तौल की खोज के साक्ष्य

अपीलार्थी, अपने आप में, यह साबित नहीं कर सकता है कि जिसने हथियार को इंगित किया था, उसने अपराध में इसका इस्तेमाल किया था। खोज के साथ दिया गया बयान छिपाने के लेखक की पहचान करने के लिए अस्पष्ट पाया गया और यह माना गया कि हथियार से इशारा करना, सबसे अच्छा, अपीलार्थी के ज्ञान को साबित कर सकता है कि हथियार कहाँ रखा गया था। 70. इस प्रकार, सटीक शब्दों के अभाव में, एक आरोपी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जैसा कि उसके द्वारा दिए गए बयान को जांचकर्ता द्वारा अपदस्थ किया जा रहा है।

अपने साक्ष्य में अधिकारी, और पंचनामे (Exh.5) की सामग्री को साबित किए बिना, निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खोज की परिस्थितियों पर भरोसा करना उचित नहीं था।

हथियार। 71. यदि अभियोजन पक्ष का मामला है कि पीडब्लू-2, छतरपाल रैदास, एस/ओ रामेश्वर रैदास ने पंच गवाहों में से एक के रूप में काम किया था

खोज पंचनामे के चित्रण के लिए, फिर क्यों पीडब्लू-2, छतरपाल रैदास ने अपने मौखिक साक्ष्य में पंच गवाह के रूप में काम करने और अपराध के हथियार की खोज और उसकी उपस्थिति में बनाए जा रहे खून से सने कपड़ों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। तथ्य यह है

यह कि वह उपरोक्त पर अपने मौखिक साक्ष्य में पूरी तरह से चुप है, दो पुलिस गवाहों यानी क्रमशः पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करता है। 72. उपरोक्त संदर्भ में, हम

बोधराज उर्फ बोधा और अन्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं। की स्थिति

जम्मू और कश्मीर ने (2002) 8 एस. सी. सी. 45 में निम्नानुसार रिपोर्ट कियाः

अमानंद @नंदलाल भारती बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

" 18. ..... ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 27 के तहत यह किसी भी तथ्य की खोज के लिए साक्ष्य प्रदान करने के लिए है।

स्वीकार्य है, जानकारी पुलिस की हिरासत में किसी भी आरोपी से आनी चाहिए। पुलिस अभिरक्षा की आवश्यकता अत्यंत विसंगत परिणामों के लिए उत्पादक है और इसका कारण बन सकता है ऐसे मामलों में बहुत मूल्यवान साक्ष्य का बहिष्कार जहां एक व्यक्ति, जिसे बाद में हिरासत में लिया जाता है और हो जाता है

एक अभियुक्त, अपराध करने के बाद एक पुलिस अधिकारी से मिलता है या स्वेच्छा से उसके पास या पुलिस स्टेशन जाता है और अपराध की परिस्थितियों को बताता है जिससे शव, हथियार या किसी अन्य भौतिक तथ्य की खोज होती है।

जानकारी जो अन्यथा स्वीकार्य हो जाती है धारा 27 के तहत अस्वीकार्य यदि जानकारी नहीं आई

किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी व्यक्ति से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में नहीं है। वह कथन जो धारा 27 के तहत स्वीकार्य है वह वह है जो खोज की ओर ले जाने वाली जानकारी है। अतः यह क्या है?

जानकारी स्वीकार्य होने के कारण, इसे साबित करना होगा न कि पुलिस अधिकारी द्वारा उस पर बनाई गई राय। दूसरे शब्दों में, हिरासत में रहते हुए अभियुक्त द्वारा दी गई सटीक जानकारी जिससे वस्तुओं की बरामदगी हुई, उसे साबित करना होगा। इसलिए, अभियुक्त और अभियोजन पक्ष दोनों के लाभ के लिए यह आवश्यक है कि दी गई जानकारी को दर्ज किया जाना चाहिए और साबित किया जाना चाहिए और यदि ऐसा दर्ज नहीं किया गया है, तो सटीक जानकारी को साक्ष्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में अंतर्निहित मूल विचार पुष्टि का सिद्धांत है।

बाद की घटनाओं से। यह सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि किसी कैदी से प्राप्त किसी भी जानकारी के आधार पर की गई खोज के रूप में कोई तथ्य पाया जाता है, तो ऐसी खोज इस बात की गारंटी है कि कैदी द्वारा प्रदान की गई जानकारी सच है। जानकारी इकबालिया हो सकती है या

प्रकृति में गैर-प्रेरक लेकिन यदि इसके परिणामस्वरूप किसी तथ्य की खोज होती है, तो यह एक विश्वसनीय जानकारी बन जाती है। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि किसी वस्तु की पुनर्प्राप्ति खंड में परिकल्पित तथ्य की खोज नहीं है। पुलुकुरी कोट्टाया बनाम में प्रिवी काउंसिल का निर्णय। सम्राट [AIR 1947 PC 67: 48 क्री एलजे 533: 74 आई. ए. 65] समर्थन के लिए सबसे अधिक उद्धृत प्राधिकरण है

व्याख्या कि "तथ्य की खोज" की परिकल्पना [2022] 5 एस. सी. आर. में की गई है।

खंड उस स्थान को शामिल करता है जहाँ से वस्तु का उत्पादन किया गया था, अभियुक्त के बारे में जानकारी, लेकिन जानकारी

दिया गया उस प्रभाव से स्पष्ट रूप से संबंधित होना चाहिए। (देखें स्थिति

महाराष्ट्र बनाम. दामू गोपीनाथ शिंदे [(2000) 6 एससीसी 269:

2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1088: 2000 क्रि एलजे 2301]।) इसमें कोई शक नहीं कि साक्ष्य में स्वीकार की जाने वाली जानकारी सीमित है

जानकारी के उस हिस्से से जो स्पष्ट रूप से संबंधित है इस प्रकार तथ्य का पता चला "। लेकिन जानकारी प्राप्त करने के लिए

स्वीकार्यता को इतना छोटा करने की आवश्यकता नहीं है कि यह असंवेदनशील हो जाए।

या समझ से बाहर। स्वीकार की गई जानकारी की सीमा होनी चाहिए समझ के साथ सुसंगत रहें। केवल यह कथन कि

आरोपी पुलिस और गवाहों को उस स्थान पर ले गया जहाँ

उन्होंने लेखों को छुपाया था जो इसका संकेत नहीं है

दी गई जानकारी।

[जोर दिया गया]

73. श्री उपाध्याय, राज्य के विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे

खोज के रूप में साक्ष्य को त्यागते हुए भी

इसमें अपीलार्थी का आचरण निम्नानुसार प्रासंगिक होगा -

साक्ष्य अधिनियम के 8 पर। खोज का प्रमाण होगा

साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत आचरण के रूप में काफी अलग

अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रकटीकरण कथन की ग्राह्यता, जैसा कि इस न्यायालय ने ए. एन. वेंकटेश बनाम में कहा था। की स्थितिअताका, (2005) 7 एस. सी. सी. 714:

" 9. साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के आधार पर,

अभियुक्त व्यक्ति प्रासंगिक है, यदि ऐसा आचरण प्रभावित करता है या

आचरण धारा 27 के दायरे में आता है या नहीं जैसा कि माना जाता है प्रकाश चंद बनाम में इस न्यायालय द्वारा। राज्य (दिल्ली प्रशासन) [(1979)

3 एससीसी 90: 1979 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 656: ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 4001 भले ही

हम मानते हैं कि द्वारा दिया गया प्रकटीकरण कथन अभियुक्त-अपीलार्थी (बहिष्कृत)। पी-15 और पी-16) स्वीकार्य नहीं है रामानंद @नंदलाल भारती बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत, अभी भी यह प्रासंगिक है

धारा 8.

[जोर दिया गया]

74. उपरोक्त संदर्भ में, हम एक टिप्पणी करना चाहेंगे

सावधानी बरतें। यद्यपि एक अभियुक्त का आचरण साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत एक प्रासंगिक तथ्य हो सकता है, फिर भी वही, अपने आप में, उसे दोषी ठहराने या उसे दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता है और वह भी हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए। साक्ष्य के किसी भी अन्य टुकड़े की तरह, एक अभियुक्त का आचरण भी उन परिस्थितियों में से एक है जिन पर अदालत रिकॉर्ड पर अन्य साक्ष्य के साथ विचार कर सकती है, या

अप्रत्यक्ष रूप से। हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि अकेले अभियुक्त का आचरण, हालांकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता है।

75. इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम इस पर पहुंचे हैं

यह निष्कर्ष कि अभियुक्त अपीलार्थी के कहने पर हथियार और खून से सने कपड़ों की खोज का सबूत शायद ही हो सकता है

कानूनी साक्ष्य के रूप में माना जाए, विशेष रूप से, उसी में विभिन्न कानूनी दुर्बलताओं पर विचार करते हुए।

असाधारण न्यायिक सम्मेलन

76. अभियोजन पक्ष का मामला है कि 23.01.2010 पर आरोपी

कहा जाता है कि अपीलार्थी पीडब्लू-3, बाबू राम के घर गया था।

हंस लगभग 9 बजेः 00 सुबह बजे और उसकी मदद माँगी। कहा जाता है कि पीडब्लू-3 से मदद मांगते हुए, अभियुक्त अपीलार्थी बाबू राम हंस ने एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति दी थी कि उसने मंजू से शादी करने के लिए सहमति नहीं देने पर अपनी पत्नी संगीता की बेरहमी से हत्या कर दी थी।

कहा जाता है कि अभियुक्त अपीलार्थी ने अतिरिक्त न्यायिक कार्रवाई भी की है।

पीडब्लू-3, बाबू राम हंस के सामने स्वीकारोक्ति कि उसने अपनी चार बेटियों की भी हत्या कर दी थी। तुलसी, लक्ष्मी, काजल और गुड्डी ने बहुत बड़ी गलती की थी। निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने माना है कि तथाकथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति आरोपी अपीलार्थी द्वारा पीडब्लू-3, बाबू राम हंस के समक्ष की गई थी। हालाँकि, निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय को अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर विश्वास करने से पहले खुद से एक सवाल पूछना चाहिए था कि क्या अभियुक्त अपीलार्थी पी. डब्ल्यू.-3, बाबू

राम हंस के घर 9 बजे पहुँचने के लिए आई. डी. 1 पर एक स्वतंत्र व्यक्ति थाः 00 सुबह बजे और एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति करें। यह उन बुनियादी दुर्बलताओं में से एक है जो हमने दोनों न्यायालयों के निर्णय में देखी है। [2022] 5 एस. सी. आर. पर ठोस सबूत हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह इंगित करने के लिए रिकॉर्ड करें कि 22.01.2010 पर, अभियुक्त अपीलार्थी पहली बार पीडब्लू-1, शंभू रैदास (प्रथम मुखबिर) के घर गया और घटना के बारे में बताया। इसके बाद पीडब्लू-1, शंभू रैदास ने पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़. आई. आर.) दर्ज की और जैसा कि उसके द्वारा बयान दिया गया था, आरोपी अपीलार्थी पूरे समय पुलिस स्टेशन में था। यदि आई. डी. 1 पर अभियुक्त को एक पुलिस सिपाही के साथ अस्पताल में चिकित्सा जांच के लिए भेजा जाता है, तो अभियोजन पक्ष के मुंह में यह कहना कैसे निहित है कि चिकित्सा जांच के बाद अभियुक्त अपीलार्थी को घर जाने और स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी गई थी। गवाहों ने अपने मौखिक साक्ष्य में कहा है कि आरोपी अपीलार्थी को पुलिस ने 22.01.2010 पर सुबह ही उठा लिया था। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया यह पूरा मामला कि अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा पीडब्लू-3, बाबू राम हंस के समक्ष 23.01.2010 पर एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की गई थी, केवल अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करने के लिए गढ़ा और तैयार किया गया प्रतीत होता है। 77. अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि इसी तरह का अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा पीडब्लू के समक्ष किया गया था।

4 , राम कुमार, एस/ओ पांचू घटना के उसी दिन यानी 22.01.2010 06 बजेः 30 सुबह में। यदि हम पीडब्लू-4, राम कुमार के मौखिक साक्ष्य पर गौर करें तो उनके अनुसार प्रासंगिक समय पर वे जिला पंचायत के सदस्य थे। पीडब्लू-4 के अनुसार, अभियुक्त अपीलार्थी राम कुमार 06 बजे उसके घर आया थाः 30 सुबह और एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की कि उसने एक गंभीर अपराध किया था। अभियोजन पक्ष हमसे कैसे उम्मीद करता है कि हम पीडब्लू-4, राम कुमार के समक्ष कथित रूप से किए गए दूसरे अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर भी विश्वास करेंगे? अभियोजन पक्ष हमसे यह विश्वास करने की उम्मीद कैसे करता है कि अभियुक्त अपीलार्थी एक ही समय में या लगभग तीन अलग-अलग स्थानों पर मौजूद था। या तो हम पी. डब्ल्यू.-1, शंभू रैदास (प्रथम मुखबिर) को मानते हैं कि अभियुक्त अपीलार्थी 06 बजे उसके घर आया थाः 30 सुबह या हम

पी. डब्ल्यू.-2, छत्रपाल रैदास का मानना है, जिसने बयान दिया है कि अभियुक्त अपीलार्थी 07 बजे उसके घर आया थाः 00 सुबह के बजे या हम पीडब्लू-4, राम कुमार को मानते हैं कि अभियुक्त अपीलार्थी 06 बजे उसके घर आया थाः 30 सुबह में। अभियुक्त अपीलार्थी के लिए बीच में या उसके आसपास तीन अलग-अलग स्थानों पर उपस्थित होना कैसे संभव है?

06: 30 ए. एम. से 07: 30 ए. एम. एक अन्य पहलू जो पीडब्लू-4, राम कुमार के मौखिक साक्ष्य को बहुत संदिग्ध बनाता है, वह यह है कि उनका घर धौरहरा से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पीडब्लू-4 के अनुसार, अभियुक्त अपीलार्थी अपने घर से पैदल ही उनके घर गया था। पीडब्लू-4, राम कुमार भी 'गोट रामानंद @नंदलाल भारती बनाम' प्रतीत होते हैं।

केवल अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के रूप में साक्ष्य बनाने के उद्देश्य से गवाह। इस स्तर पर, हम एक बार फिर पीडब्लू-1, शंभू रैदास (Exh.1) के मौखिक साक्ष्य पर वापस जा सकते हैं। अपने साक्ष्य में उन्होंने कहा है, "इंस्पेक्टर ने मुझसे पुलिस में पूछताछ नहीं की थी।

स्टेशन। इंस्पेक्टर ने अपने वाहन में घटना स्थल का दौरा किया था। मैं 02 बजे पुलिस स्टेशन से निकलाः 00 रात के समय। जब से मैंने सुबह एफ. आई. आर. दर्ज की थी, तब से लेकर 2 बजे तक मैं पुलिस स्टेशन में रहा थाः 00 रात के बजे और रामानंद भी मेरे साथ पुलिस स्टेशन में रहे। पुलिस अधिकारी ने तीसरे दिन रामानंद का चालान काटा था। तब तक रामानंद लगातार पुलिस स्टेशन में रह रहे थे। [जोर दिया गया]

78. पीडब्लू-2, छत्रपाल रैदास ने अपने साक्ष्य में कहा है, "मुझे 07 बजे घटना के बारे में पता चलाः 00 सुबह के समय। आई.

रामानंद के माध्यम से पता चला। रामानंद 7 बजे मेरे घर आए थेः 00 ओ 'क्लॉक। रामानंद उस समय अकेले थे। रामानंद ने मुझे बताया कि उनकी पत्नी और बच्चे घर में जल रहे थे, किसी ने उन्हें मार डाला और आग लगा दी। यह कहते हुए रामानंद अपने घर चले गए। इसके बाद प्रताप और शंभू साइकिल से रामानंद के घर पहुंचे और मैं पैदल ही पहुँच गया। जब मैं रामानंद के घर पहुँचा तो प्रताप और शंभू घर में लगी आग को पानी से बुझा रहे थे। रामानंद यहाँ बैठे अपने शरीर को गर्म कर रहे थे और ग्रामीण बाहर खड़े थे। रामानंद के कपड़े खून से लथपथ थे। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर वहाँ पहुँच गया।

इसके बाद, मैं, शंभू और प्रताप इंस्पेक्टर के साथ एक जीप में पुलिस स्टेशन गए। इंस्पेक्टर को मौके पर पहुंचने में आधे घंटे का समय लगा। सुबह के लगभग 8 से 9 बजे के समय पुलिस अधिकारी रामानंद को हमारे सामने पुलिस स्टेशन ले गए।

79. इस प्रकार, हमारे लिए यह विश्वास करना बहुत कठिन है कि अभियुक्त अपीलार्थी पीडब्लू-2 के समक्ष और पीडब्लू-4 के समक्ष 06 बजे अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति कर सकता थाः 30 ए. एम. अर्थात घटना की तारीख को। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जांच अधिकारी ने जानबूझकर आरोपी अपीलार्थी की गिरफ्तारी 24.01.2010 पर दिखाई है और वह भी बस स्टैंड जैसी जगह से। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अभियुक्त अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया और 22.01.2010 की सुबह ही हिरासत में ले लिया गया। एक पुलिस कांस्टेबल एक पुलिस यदी के साथ आरोपी अपीलार्थी को मेडिकल जांच के लिए सुबह ही अस्पताल ले गया था। केवल यह दिखाने के लिए कि 22.01.2010 और 24.01.2010 के बीच अभियुक्त अपीलार्थी ने अतिरिक्त न्यायिक [2022] 5 एस. सी. आर. बनाया।

दो गवाहों के सामने स्वीकारोक्ति, जांच अधिकारी ने 24.01.2010 पर आरोपी अपीलार्थी की गिरफ्तारी दिखाई है जो अविश्वसनीय है।

80. स्वीकारोक्ति को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात् न्यायिक और अतिरिक्त न्यायिक। न्यायिक स्वीकारोक्ति वे हैं जो पहले किए जाते हैं।

न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान मजिस्ट्रेट या न्यायालय। अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति वे हैं जो पक्ष द्वारा मजिस्ट्रेट या न्यायालय के अलावा कहीं और किए जाते हैं। अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति आम तौर पर वे होते हैं जो एक पक्ष द्वारा एक निजी व्यक्ति के समक्ष या उसके समक्ष किए जाते हैं जिसमें एक न्यायिक अधिकारी भी शामिल होता है। इसमें एक मजिस्ट्रेट भी शामिल है जिसे धारा 164 के तहत इकबालिया बयान दर्ज करने का विशेष अधिकार नहीं है।

सी. आर. पी. सी. या एक मजिस्ट्रेट जो इस तरह से सशक्त है लेकिन एक ऐसे स्तर पर स्वीकारोक्ति प्राप्त कर रहा है जब धारा 164 लागू नहीं होती है। अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के संबंध में, दो प्रश्न उठते हैंः ((क) क्या वे स्वेच्छा से बनाए गए थे? और (ii) क्या वे सच हैं? जैसा कि धारा अधिनियमित करती है, एक अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किया गया स्वीकारोक्ति एक आपराधिक कार्यवाही में अप्रासंगिक है, यदि न्यायालय के समक्ष स्वीकारोक्ति करना किसी प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण प्रतीत होता है, (1) अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ आरोप का संदर्भ है, (2) किसी अधिकारी व्यक्ति से कार्यवाही, और (3) अदालत की राय में अभियुक्त व्यक्ति को आधार देने के लिए पर्याप्त है जो प्रतीत होगा

वह यह मानने के लिए तर्कसंगत है कि ऐसा करने से वह अपने खिलाफ कार्यवाही के संदर्भ में कोई लाभ प्राप्त करेगा या लौकिक प्रकृति की किसी बुराई से बच जाएगा। यह इस प्रकार है कि एक स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक होगी यदि यह अभियुक्त द्वारा मन की एक उपयुक्त स्थिति में की जाती है, और यदि यह किसी प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण नहीं है जो आरोप के संदर्भ में है।

उसके खिलाफ, अधिकार में एक व्यक्ति से कार्यवाही। यह नहीं होगा

यह मानते हुए कि ऐसा करने से वह अपने खिलाफ कार्यवाही के संदर्भ में कोई लाभ प्राप्त करेगा या लौकिक प्रकृति की किसी बुराई से बचेगा। स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक थी या नहीं, यह इस पर निर्भर करेगा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के आलोक में निर्णय लिए गए प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ। कानून स्पष्ट है कि एक अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ कबुलीजबाब का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि अदालत का समाधान नहीं हो जाता कि यह स्वैच्छिक था और उस स्तर पर यह सवाल नहीं उठता कि यह सच है या गलत। यदि स्वीकारोक्ति देने के आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों से स्वीकारोक्ति की सत्यता या स्वैच्छिकता पर संदेह होता है, तो न्यायालय स्वीकारोक्ति पर कार्रवाई करने से इनकार कर सकता है, भले ही वह रामानंद @नंदलाल भारती v हो।

उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

साक्ष्य में स्वीकार्य। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके संबंध में न्यायालय को संतुष्ट होना पड़ता है, वह यह है कि क्या जब अभियुक्त ने स्वीकारोक्ति की थी, तो वह एक स्वतंत्र व्यक्ति था या उसकी गतिविधियों को पुलिस द्वारा या तो स्वयं या उसके द्वारा नियोजित किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से नियंत्रित किया गया था।

इस तरह की स्वीकारोक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से। यह सवाल कि क्या स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक है या नहीं, हमेशा तथ्य का सवाल होता है। महत्वपूर्ण सहित मामले के सभी कारक और सभी परिस्थितियाँ

यह निर्णय लेने से पहले कि क्या न्यायालय संतुष्ट है कि उसकी राय, प्रलोभन, धमकी या वादे, यदि कोई हो, से उत्पन्न धारणा को पूरी तरह से हटा दिया गया है, विचार के लिए दिए गए समय के कारकों, आरोपी को धमकी, प्रलोभन या वादे की भावना प्राप्त करने की गुंजाइश पर विचार किया जाना चाहिए। एक स्वतंत्र और स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति उच्चतम श्रेय के योग्य है।

क्योंकि यह माना जाता है कि यह अपराधबोध की उच्चतम भावना से प्रवाहित होता है। [आर. वी. वारविकशॉल को देखिएः (1783) पाठ 263)]। यह कल्पना नहीं की जानी चाहिए कि एक आदमी को अपराध की स्वतंत्र और स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जो मानव स्वभाव की भावनाओं और सिद्धांतों के विपरीत है, अगर स्वीकार किए गए तथ्य सच नहीं थे। जानबूझकर और स्वेच्छा से अपराध स्वीकार करना, यदि स्पष्ट रूप से साबित हो जाता है, तो कानून में सबसे प्रभावी सबूतों में से हैं। अनैच्छिक स्वीकारोक्ति वह है जो इसके निर्माता की स्वतंत्र इच्छा का परिणाम नहीं है। इसलिए, जहां व्यक्ति को अपराधी और आरोपी के रूप में माने जाने के बाद कई घंटों तक उत्पीड़न और निरंतर पूछताछ के परिणामस्वरूप बयान दिया जाता है, ऐसे बयान को अनैच्छिक माना जाना चाहिए। प्रलोभन एक वादे या धमकी का रूप ले सकता है, और अक्सर प्रलोभन में वादा और धमकी दोनों शामिल होते हैं, यदि खुलासा किया जाता है तो क्षमा का वादा और यदि ऐसा नहीं होता है तो अभियोजन की धमकी। (वुड्रॉफ एविडेंस, 9 वीं संस्करण देखें। पृष्ठ 284)। एक वादा हमेशा स्वीकारोक्ति के साथ जुड़ा होता है, वैकल्पिक जबकि एक धमकी हमेशा मौन के साथ जुड़ी होती है-वैकल्पिक; इस प्रकार, एक मामले में कैदी है वादों के शुद्ध लाभ को मापना, वर्तमान असंतोषजनक स्थिति के विपरीत, एक झूठी स्वीकारोक्ति की सामान्य अवांछनीयता को घटाना; जबकि दूसरे मामले में वह वर्तमान संतोषजनक स्थिति के शुद्ध लाभों को माप रहा है, खतरे में पड़े नुकसान के खिलाफ स्वीकारोक्ति की सामान्य अवांछनीयता को घटाना। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हर प्रलोभन, धमकी या वादा स्वीकारोक्ति को दूषित नहीं करता है। चूँकि नियम का उद्देश्य केवल उन स्वीकारोक्ति को बाहर करना है जो प्रमाणिक रूप से अविश्वसनीय हैं, प्रलोभन, धमकी या वादा ऐसा होना चाहिए जिसकी गणना एक असत्य स्वीकारोक्ति की ओर ले जाने के लिए की जाती है। उपरोक्त विश्लेषण पर न्यायालय को प्रलोभन की अनुपस्थिति या उपस्थिति का निर्धारण करना है,

वादा आदि या इसकी पर्याप्तता और इसने [2022] 5 एस. सी. आर. पर कैसे या किस पैमाने पर काम किया।

स्वीकारोक्ति। खंड के अंतिम भाग में 'उसे दिखाई देता है' शब्द अभियुक्त की मानसिकता को संदर्भित करते हैं। (राजस्थान राज्य बनाम देखें। राजा राम, (2003) 8 एससीसी 180) 81. एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति, यदि स्वैच्छिक और सत्य है और मन की उपयुक्त स्थिति में की गई है, तो न्यायालय द्वारा उस पर भरोसा किया जा सकता है। स्वीकारोक्ति को किसी भी अन्य तथ्य की तरह साबित करना होगा। स्वीकारोक्ति के रूप में साक्ष्य का मूल्य, किसी भी अन्य साक्ष्य की तरह, उस गवाह की सत्यता पर निर्भर करता है जिसे यह दिया गया है। स्वीकारोक्ति के रूप में साक्ष्य का मूल्य साक्ष्य देने वाले गवाह की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। यह किसी भी न्यायालय के लिए इस धारणा के साथ शुरू करने के लिए खुला नहीं है कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति एक कमजोर प्रकार का सबूत है। यह परिस्थितियों की प्रकृति, कब स्वीकारोक्ति की गई थी और इस तरह के स्वीकारोक्ति की बात करने वाले गवाहों की विश्वसनीयता पर निर्भर करेगा। इस तरह के कबूलनामे पर भरोसा किया जा सकता है और उस पर दोषसिद्धि की स्थापना की जा सकती है यदि कबूलनामे के बारे में साक्ष्य उन गवाहों के मुंह से आता है जो निष्पक्ष प्रतीत होते हैं, यहां तक कि अभियुक्त के लिए दूर से भी शत्रुतापूर्ण नहीं हैं, और जिनके संबंध में कुछ भी सामने नहीं लाया गया है जो यह संकेत दे सकता है कि उसका उद्देश्य अभियुक्त को एक असत्य बयान देने के लिए हो सकता है, गवाह द्वारा बोले गए शब्द स्पष्ट, स्पष्ट और स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं कि आरोपी अपराध का अपराधी है और गवाह द्वारा कुछ भी नहीं छोड़ा गया है जो इसके खिलाफ विद्रोह कर सकता है। गवाह के साक्ष्य को विश्वसनीयता की कसौटी पर एक कठोर परीक्षण के अधीन करने के बाद, अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को स्वीकार किया जा सकता है और यदि यह विश्वसनीयता की कसौटी पर उत्तीर्ण हो जाता है तो यह दोषसिद्धि का आधार हो सकता है।

82. अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति सबूत का एक कमजोर टुकड़ा है और अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह विश्वास को प्रेरित करता है और इसकी पुष्टि की जाती है

अन्य अभियोजन साक्ष्य द्वारा। इसे साक्ष्य का एक कमजोर टुकड़ा माना जाता है क्योंकि जब भी प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है तो इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को स्वीकार करने के लिए, यह स्वैच्छिक होना चाहिए और आत्मविश्वास को प्रेरित करना चाहिए। यदि अदालत संतुष्ट है कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक है, तो इसे दोषसिद्धि के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।

83. सहदेवन अमानंद @नंदलाल भारती बनाम में विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता और साक्ष्य मूल्य को ध्यान में रखते हुए।

उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.](नोथर वी। तमिलनाडु राज्य, (2012) 6 एस. सी. सी. 403, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

देरः

" 15.1 . बलविंदर सिंह बनाम। पंजाब राज्य [1995 पूरक (4) एस. सी. सी. 259: 1996 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 59] इस न्यायालय ने कहा कि

सिद्धांत किः (एस. सी. सी पी. 265, पैरा 10)

" 10. अपने स्वभाव से एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और इसके लिए प्रशंसा की आवश्यकता होती है।

अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति संदिग्ध से घिरी हुई है परिस्थितियों में, इसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है और यह खो जाती है

इसका महत्व।

एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स

15.4 . सिद्धांतों के आयामों की व्याख्या करते हुए

एक की स्वीकार्यता और साक्ष्य मूल्य को नियंत्रित करना

अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति, राजस्थान राज्य बनाम में यह न्यायालय। राजा राम [(2003) 8 एससीसी 180: 2003 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1965] ने इस सिद्धांत को बताया किः (एस. सी. सी पी. 192, पैरा 19)

" 19. एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति, यदि स्वैच्छिक और सत्य है और मन की उपयुक्त स्थिति में की गई है, तो अदालत द्वारा उस पर भरोसा किया जा सकता है। स्वीकारोक्ति को किसी भी अन्य तथ्य की तरह साबित करना होगा। स्वीकारोक्ति के रूप में साक्ष्य का मूल्य, किसी भी अन्य साक्ष्य की तरह, गवाह की सत्यता पर निर्भर करता है।

जिसे यह बनाया गया है "।

न्यायालय ने आगे यह विचार व्यक्त किया किः (एस. सी. सी पी. 192, पैरा 19)

निष्पक्ष, अभियुक्त के लिए दूर से भी शत्रुतापूर्ण नहीं है, और जिनके संबंध में कुछ भी सामने नहीं आया है जो यह संकेत दे सकता है कि उसका उद्देश्य हो सकता है अभियुक्त को झूठा बयान "।

एक्स एक्सः x x

15.6 . अतिरिक्त-न्यायिक की स्वीकार्यता को स्वीकार करना स्वीकारोक्ति, संसार चंद बनाम में न्यायालय। राजस्थान राज्य [2022] 5 एस. सी. आर.

[(2010) 10 एससीसी 604: (2011) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 79] ने कहा किः (एससीसी

पी। 611 , पैरा 29-30)

" 29. ऐसा कोई पूर्ण नियम नहीं है कि एक अतिरिक्त-न्यायिक

902 : 1959 क्रि एल. जे. 1219], शिवकुमार बनाम। राज्य [(2006) 1 एस. सी. सी. 714 (2006) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 470]

41 : आकाशवाणी पैरा 41 और 42), शिव करम पायस्वामी तिवारी वी. महाराष्ट्र राज्य [(2009) 11 एससीसी 262: (2009) 3

एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1320] और मोहम्मद। आजाद बनाम। स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी. [(2008)

15 एससीसी 449: (2009) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1082]

[जोर दिया गया]

84. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि दोषसिद्धि स्वैच्छिक आधार पर हो सकती है

स्वीकारोक्ति लेकिन विवेक के नियम के लिए आवश्यक है कि जहां भी संभव हो, स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। अभियुक्त के अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की सभी मामलों में पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। मदन गोपाल में (_ M) कक्कड़ बनाम। नवल दुबे और अन्य, (1992) 3 एस. सी. सी. 204, यह न्यायालय प्यारा सिंह और अन्य बनाम का उल्लेख करने के बाद। पंजाब राज्य, (1977) 4 एस. सी. सी. 452 ने अभिनिर्धारित किया कि कानून के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सभी मामलों में अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के साक्ष्य की पुष्टि की जानी चाहिए। विवेक के नियम के लिए यह आवश्यक नहीं है कि स्वीकारोक्ति में उल्लिखित प्रत्येक परिस्थिति की अलग से और स्वतंत्र रूप से पुष्टि की जानी चाहिए।

85. उपरोक्त का योग और सार यह है कि एक अतिरिक्त न्यायिक

अपने स्वभाव से स्वीकारोक्ति एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और इसके लिए बहुत सावधानी और सावधानी के साथ प्रशंसा की आवश्यकता होती है। कहाँ एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी होती है, इसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है और यह हाथ में मामले की तरह अपना महत्व खो देती है। अदालतें आम तौर पर एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर कोई भरोसा रखने से पहले एक स्वतंत्र विश्वसनीय पुष्टि की तलाश करती हैं।

86. प्रेरक

निम्नलिखित न्यायालयों ने इसके लिए मजबूत उद्देश्य पर भरोसा किया है

अभियुक्त अपीलार्थी अपराध को अपराध सिद्ध करने वाली परिस्थितियों में से एक के रूप में करता है। अभियोजन पक्ष का मामला है कि आरोपी अपीलार्थी मंजू से शादी करना चाहता था।

मंजू स्वयं रामानंद @नंदलाल भारती बनाम में। उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

समय का प्रासंगिक बिंदु एक विवाहित महिला थी। अभिलेख पर साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त अपीलार्थी ने मृतक संगीता के साथ अपनी शादी के निर्वाह के दौरान मंजू के साथ सगाई भी कर ली थी। ऐसा भी प्रतीत होता है कि सगाई समारोह धूमधाम से मनाया गया था। हालांकि, इससे पहले कि आरोपी अपीलार्थी मंजू से शादी कर पाता, उसे आईपीसी की धारा 307 के तहत एक अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, हालांकि आरोपी अपीलार्थी ने मंजू से शादी करने की पूरी कोशिश की, विशेष रूप से जमानत पर रिहा होने के बाद, क्योंकि उसकी पत्नी मृत संगीता के अंत में बहुत विरोध हुआ था, वह उससे शादी नहीं कर सका। ऐसी परिस्थितियों में, यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि आरोपी अपीलार्थी ने घटना की दुर्भाग्यपूर्ण रात को अपनी पत्नी संगीता के साथ-साथ अपनी चार नाबालिग बेटियों को भी बर्खास्त करने का फैसला किया।

87. यह आपराधिक न्यायशास्त्र का एक स्थापित सिद्धांत है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में अपराध करने का उद्देश्य अभियुक्त का भाग अधिक महत्व रखता है। इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में ये सिद्धांत निर्धारित किए हैं कि अपराध करने का उद्देश्य निस्संदेह कुछ मामलों में अधिक महत्वपूर्ण है।

उन लोगों की तुलना में परिस्थितिजन्य साक्ष्य जिसमें प्रत्यक्ष साक्ष्य के संबंध में अपराध आयोग उपलब्ध है। यह भी उतना ही सच है कि साबित करने में विफलता

परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में उद्देश्य अपने आप में घातक नहीं होता है। हालाँकि, यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है और यह कानूनी रूप से तुच्छ है कि उद्देश्य की अनुपस्थिति दोषपूर्ण परिस्थितियों की एक अनुपस्थित कड़ी हो सकती है, लेकिन एक बार अभियोजन पक्ष ने अन्य दोषपूर्ण परिस्थितियों को पूरी तरह से स्थापित कर लिया है, तो उद्देश्य की अनुपस्थिति से अभियुक्त को कोई लाभ नहीं मिलेगा।

88. अभिलेख पर साक्ष्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह इंगित करने के लिए कुछ है कि अभियुक्त अपीलार्थी के अवैध संबंध थे

मंजू के साथ और मंजू से शादी करके जीवन में समझौता करना चाहता था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पूर्व में अभियुक्त अपीलार्थी की मंजू के साथ सगाई हो गई थी और वह शादी करने के कगार पर था। प्रासंगिक समय पर जब

अभियुक्त अपीलार्थी की मंजू के साथ सगाई हो गई, ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक संगीता सहित सभी सहमत पक्ष थे। इस बात का संकेत देने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि मंजू के साथ आरोपी अपीलार्थी की सगाई के समय, मृतक संगीता ने हंगामा किया था या अपने पति के इस तरह के फैसले का विरोध किया था। बेशक, यह कुछ ऐसा है जो बहुत व्यक्तिगत। अगर हम मंजू के साथ आरोपी अपीलार्थी के अवैध संबंधों पर विश्वास करते हैं, तो यह संभव है कि मृतक संगीता एक बिल्कुल असहाय महिला हो और उस (2022) 5 एस. सी. आर. में कुछ भी नहीं कर सकती थी।

डी। तथापि, विवादास्पद प्रश्न यह है कि क्या यह उद्देश्य अकेले अभियुक्त अपीलार्थी को कथित अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त होना चाहिए और

उसे मौत के घाट उतार दिया।

89. संपत कुमार बनाम के मामले में। पुलिस निरीक्षक

नागिरी, (2012) 4 एस. सी. सी. 124, ने 02.03.2012 पर निर्णय लिया, इस न्यायालय ने कहा

देरः

" 29. एन. जे. सूरज बनाम राज्य [(2004) 11 एससीसी 346: 2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) सप्लीमेंट 85] अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य और एक उद्देश्य पर आधारित था। चर्चा करने के बाद

अभियोजन पक्ष द्वारा निर्भर परिस्थितियाँ, यह न्यायालय

अभियुक्त की निर्दोषता। 30. इसी प्रभाव के लिए संतोष कुमार सिंह बनाम मामले में इस न्यायालय का निर्णय है। राज्य [(2010) 9 एससीसी 747: (2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1469] और रुकिया बेगम बनाम। कर्नाटक राज्य [(2011) 4 एससीसी 779: (2011) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 488: ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1585] जहाँ यह

अदालत ने किसी अन्य की अनुपस्थिति में केवल उस उद्देश्य को माना

कानूनी स्थिति को निम्नानुसार समझायाः (सुनील राय मामला [(2011) 12 एस. सी. सी. 258: (2012) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 543: AIR 2011 SC 2545], एस. सी. सी पी. 266 , पैरा 31-32)

" 31. किसी भी मामले में, अकेले उद्देश्य शायद ही एक हो सकता है

विश्वास के लिए जमीन।

32. अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर, अभियुक्त के खिलाफ कुछ संदेह हो सकता है, लेकिन जैसा कि अक्सर कहा जाता है, संदेह, चाहे वह कितना भी मजबूत हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। 31. यह कहने के लिए पर्याप्त है, हालांकि अपीलकर्ताओं के अनुसार अपीलकर्ता वेलू का मृतक सेंथिल को उसकी बहन के प्यार में पड़ने के कारण नुकसान पहुंचाने का मकसद था, उषा तब तक जीवित नहीं रह सकी जब तक कि परिवार ने रामानंद @नंदलाल भारती बनाम में उषा की पेशकश करने का फैसला किया था।

उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

मृतक सेंथिल से विवाह। फिर भी यह मानते हुए भी कि

अपीलार्थी वेलु ने उषा के विचार से समझौता नहीं किया था मृतक सेंथिल से शादी करना, बस इतना ही कहा जा सकता है

मृतक। यह एक महत्वपूर्ण परिस्थिति हो सकती है परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामला लेकिन नहीं ले सकते

निर्णायक प्रमाण का स्थान कि संबंधित व्यक्ति था

अपराध के लेखक। यह भी कहा जा सकता है कि उपस्थिति मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उद्देश्य एक

अपीलार्थी के विरुद्ध प्रबल संदेह लेकिन संदेह,

चाहे कितना भी मजबूत हो, यह भी प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकता है अभियुक्त का अपराध उचित संदेह से परे है।

[जोर दिया गया]

90. इस प्रकार, भले ही यह माना जाता है कि अभियुक्त अपीलार्थी के पास एक

अपराध करने का उद्देश्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में एक महत्वपूर्ण परिस्थिति हो सकती है, लेकिन इस निर्णायक प्रमाण के रूप में जगह नहीं ले सकती है कि संबंधित व्यक्ति अपराध का लेखक था। यह भी कहा जा सकता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उद्देश्य की उपस्थिति अभियुक्त अपीलार्थी के खिलाफ एक मजबूत संदेह पैदा करती है, लेकिन संदेह, चाहे कितना भी मजबूत हो, उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध के प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकता है।

91. तथ्य यह है कि हमने संबंधित परिस्थितियों को खारिज कर दिया है

अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति करना और अपराध के हथियार की खोज के रूप में स्थापित नहीं किया गया है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला इतनी बुरी तरह से टूट जाती है कि किसी भी अन्य परिस्थिति पर विचार करने के लिए, चाहे वह उद्देश्य ही क्यों न हो, आवश्यक नहीं होगा।

अभियुक्त द्वारा दी गई गलत व्याख्या

ऐप्पललैंट एक अतिरिक्त लिंक के रूप में

92. यह पूरे समय अभियोजन पक्ष का मामला है कि आरोपी

अपीलार्थी ने अपने बचाव में गलत स्पष्टीकरण दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो अभियुक्त अपीलार्थी के कथन के नीचे की अदालतों के अनुसार, घटना की दुर्भाग्यपूर्ण रात को चार अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी पत्नी और बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद, उनके शवों को आग लगा दी, जो कि अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करने वाली दोषपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए गलत साबित हुआ। निचली अदालत और उच्च

न्यायालय के अनुसार, आरोपी अपीलार्थी द्वारा उसके सिर पर लगी चोटों के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण गलत साबित हुआ है।

परिस्थितियों में, दोनों अदालतों ने यह विचार रखा कि अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा दिया गया गलत स्पष्टीकरण परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी है।

93. अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों से यह प्रतीत होता है कि कुल मिलाकर तीन और

निचली अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी अपीलार्थी के बयान दर्ज किए थे। यह इस मामले की एक और असामान्य विशेषता है। आम तौर पर और विशेष रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 की भाषा को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन पक्ष द्वारा अपने साक्ष्य को बंद करने और अभियुक्त के अपने बचाव में प्रवेश करने से पहले अभियुक्त का आगे का बयान दर्ज किया जाना चाहिए। हाथ में मामले में, यह प्रतीत होता है कि 19.07.2013 पर, सभी आठ अभियोजन गवाहों से पूछताछ की गई थी। दिन के अंत में, निचली अदालत ने आरोपी अपीलार्थी का आगे का बयान दर्ज किया। प्रश्न संख्या 12 इस प्रकार हैः

" प्रश्न 12: - क्या आप कुछ और जमा करना चाहते हैं?

जवाबः - मनुआ उर्फ रमाकांत, कमलकांत और रमाकांत ने मेरे बड़े भाई सियाराम की हत्या कर दी थी और इसके लिए मैंने एफ. आई. आर. दर्ज कराया था। मेरी पत्नी संगीता और सियाराम की बेटी गुड़िया इस मामले की चश्मदीद गवाह थीं। अभियुक्त व्यक्तियों ने सबूत मिटाने के इरादे से मुझ पर और मेरी पत्नी संगीता पर हमला किया था और मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया था। वे मुझे भी मारना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझ पर भी मिट्टी का तेल डाला। सियाराम की बेटी की बीमारी से मृत्यु हो गई। यह घटना रमाकांत, कमलाकांत और रमाकांत के कारण हुई थी।

94. आई. डी. 1 पर, अभियुक्त अपीलार्थी का दूसरा आगे का बयान निचली अदालत द्वारा दर्ज किया गया था जिसमें प्रश्न संख्या 8 दर्ज किया गया था। इस प्रकार पढ़ता हैः

" प्रश्न 8: - क्या आप कुछ और जमा करना चाहते हैं?

जवाबः - मैं निर्दोष हूँ। मुझे बरी किया जा सकता है। "

95. आई. डी. 1 पर, अभियुक्त अपीलार्थी का तीसरा और बयान निचली अदालत द्वारा दर्ज किया गया जिसमें प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार हैः

" प्रश्न 4: - क्या आप कुछ और जमा करना चाहते हैं?

जवाबः - हम और मेरे भाई सियाराम गाँव में रहते थे।

बसदिया, पुलिस थाना-धौरहरा। ब्राह्मणों के

बसदिया ने मेरे भाई सियाराम की हत्या कर दी थी।

मैं रामानंद @नंदलाल भारती बनाम था। उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

उस मामले में शिकायतकर्ता। उनके डर के कारण, मैं नामदार पुरवा में रहने लगा। मेरी पत्नी और सियाराम की बेटी उसकी हत्या के गवाह थे। उनकी बेटी की मौत हो चुकी थी। सियाराम की हत्या के अभियुक्तों ने सबूत मिटाने के लिए मेरी पत्नी और परिवार की हत्या कर दी थी। उनका इरादा मुझे भी मारने का था।

जिससे मुझे चोटें आईं।

96. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अभियोजन पक्ष को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए या गिरना चाहिए और यह पक्ष की कमजोरी से कोई ताकत हासिल नहीं कर सकता है।

रक्षा। जहाँ एक श्रृंखला में विभिन्न संबंध अपने आप में पूर्ण होते हैं, तो एक झूठी याचिका या झूठे बचाव को केवल न्यायालय को आश्वासन देने के लिए सहायता के लिए बुलाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, अतिरिक्त लिंक का उपयोग करने से पहले यह साबित किया जाना चाहिए कि श्रृंखला में सभी लिंक पूर्ण हैं और किसी भी दुर्बलता से पीड़ित नहीं हैं। यह वह कानून नहीं है जिसमें अभियोजन पक्ष के मामले में कोई कमजोरी या कमी हो, उसे एक झूठे बचाव या एक झूठी याचिका द्वारा ठीक या प्रदान किया जा सकता है जिसे अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।

97. इससे पहले कि गलत व्याख्या को एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, निम्नलिखित आवश्यक शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

(i) अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य की श्रृंखला में विभिन्न लिंक

संतोषजनक रूप से साबित हुए हैं।

((ii) ऐसी परिस्थितियाँ अभियुक्त के अपराध को उचित बचाव के रूप में इंगित करती हैं।

((iii) परिस्थिति समय और स्थिति के निकट होती है।

98. यदि उपरोक्त शर्तों को केवल पूरा किया जाता है तो एक न्यायालय ऋण देने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में एक गलत स्पष्टीकरण या एक गलत बचाव का उपयोग करता है।

न्यायालय को आश्वासन और अन्यथा नहीं। [शरद बिरिधिचंद सारदा बनाम देखें। महाराष्ट्र राज्य, आकाशवाणी (1984) एससी 1622] 99. यह तब पर्याप्त है जब अभियुक्त व्यक्ति अपने मामले के पक्ष में संभावना की अधिकता साबित करने में सफल हो जाता है। अभियुक्त व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करे या दोषी होने का निर्णय लेने में असफल रहे। सबूत की जिम्मेदारी जिस पर है

अभियुक्त व्यक्ति को अपने मामले को प्रायिकता की अधिकता से साबित करना है। अमेरिकी न्यायशास्त्र में, दूसरा संस्करण, खंड। 30 , "साक्ष्य की प्रधानता" अभिव्यक्ति को अनुच्छेद 1164 में परिभाषित किया गया है। अमेरिका में इस शब्द का अर्थ है "दोनों तरफ के कुल साक्ष्य का वजन, श्रेय और मूल्य, और आमतौर पर इसे पर्यायवाची माना जाता है।

साक्ष्य का अधिक वजन ", या" [2022] 5 एस. सी. आर. का अधिक वजन "शब्द के साथ।

विश्वसनीय सबूत "। यह एक वाक्यांश है जिसका अंतिम विश्लेषण में अर्थ है

सत्य की संभावना। संतुष्ट, निश्चित या आश्वस्त होना "साक्ष्य की प्रधानता" की परीक्षा की तुलना में बहुत अधिक परीक्षा है। "प्रायिकता की प्रधानता" वाक्यांश से लिया गया प्रतीत होता है चार्ल्स आर. कूपर बनाम एफ. डब्ल्यू. स्लेड, (1857-59) 6 एचएलसी 746। उसमें की गई टिप्पणियों से यह स्पष्ट होता है कि "किस बात की प्रधानता है?

"संभाव्यता" का अर्थ है "मामले का अधिक संभावित और तर्कसंगत दृष्टिकोण", आवश्यक रूप से उतना निश्चित नहीं है जितना कि अभिवचन होना चाहिए।

100. फिर से, पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम कह सकते हैं कि यह नहीं है

हमारे लिए गलत स्पष्टीकरण के मुद्दे में जाना आवश्यक है, कहा गया है

अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में अधिक से अधिक गलत स्पष्टीकरण का उपयोग किया जा सकता है। यह मुद्दा महत्वहीन हो जाता है क्योंकि अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य की श्रृंखला में विभिन्न लिंक संतोषजनक रूप से नहीं थे।

साबित कर दिया।

101. निर्दोषता की धारणा का अविभाज्य इंटरफेस और

अभियोजन पक्ष पर आपराधिक मामले में सबूत के बोझ को इयान डेनिस द्वारा पृष्ठ 445 पर "साक्ष्य का कानून" ग्रंथ के पांचवें संस्करण के निम्नलिखित अंश में संक्षिप्त रूप से समझाया गया है:

" निर्दोषता की धारणा बताती है कि एक व्यक्ति है

दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है। एक मायने में यह

बस अलग भाषा में इस नियम को दोहराता है कि बोझ

अभियुक्त का अपराध। जैसा कि ऊपर बताया गया है, सबूत का बोझ नियम के कई कार्य हैं, जिनमें से एक प्रदान करना है

तथ्य के लिए निर्णय का नियम-अनिश्चितता की स्थिति में खोजकर्ता।

एक अन्य कार्य गलत निर्णय के जोखिम को आवंटित करना है।

आपराधिक मुकदमे। क्योंकि गलत दोषसिद्धि का परिणाम

गलत की तुलना में काफी बदतर नुकसान माना जाता है दोषमुक्त करने के नियम का निर्माण किया गया है ताकि जोखिम को कम किया जा सके

पूर्ववर्ती। एक धारणा पर काबू पाने का बोझ कि

प्रतिवादी निर्दोष है इसलिए राज्य को यह साबित करने की आवश्यकता है कि

प्रतिवादी का अपराध "।

[जोर दिया गया]

102. उपरोक्त उद्धरण इस प्रकार एक वरीयता को स्वीकार करता है गलत तरीके से दोषसिद्धि के जोखिम की तुलना में गलत तरीके से बरी होना।

ए. एम. ए. एन. ए. एन. ए. एन. डी. एल. ए. एल. भारती बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

सुदूरतम संभावना से बचने के लिए न्यायशास्त्र संबंधी चिंता का समर्थन करना

योग्य विश्वास।

103. यह पूर्ण बल के साथ लागू होता है विशेष रूप से वास्तव में स्थितियों में जैसे

हाथ पर नहीं जहां आरोप स्थापित करने की मांग की जाती है

पर्याप्त सबूत। ये उक्तिएँ इतनी अच्छी तरह से निहित हैं कि० निर्णयों का उल्लेख करके वर्तमान कथन पर बोझ नहीं डालना चाहते हैं

इस संबंध में न्यायालय।

104. हालाँकि, इस पहलू को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित उद्धरण भी है।

इयान डेनिस का वही ग्रंथ "द लॉ ऑफ एविडेंस" पांचवां संस्करण

जी. ई. 483:

" जहाँ अभियुक्त के खिलाफ मामला पूरी तरह या आंशिक रूप से निर्भर करता है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य से निष्कर्षों पर, तथ्य-खोजकर्ता नहीं कर सकते हैं

तार्किक रूप से दोषी ठहराएँ जब तक कि वे निश्चित न हों कि अपराध के निष्कर्ष

केवल वही हैं जिन्हें यथोचित रूप से खींचा जा सकता है। अगर वे सोचते हैं

कि परिस्थितिजन्य के लिए संभावित निर्दोष स्पष्टीकरण हैं

सबूत जो "केवल काल्पनिक" नहीं हैं, उनका पालन करना चाहिए कि

अपराधबोध के बारे में एक उचित संदेह है। कोई नियम नहीं है,

हालाँकि, कि न्यायाधीशों को जूरी को दोषी नहीं ठहराने के संदर्भ में निर्देश देना चाहिए

जब तक कि वे सुनिश्चित न हों कि सबूत में कोई अन्य सबूत नहीं है

अपराध की तुलना में स्पष्टीकरण। यह केवल निर्देश देने के लिए पर्याप्त है कि

अभियोजन पक्ष पर बोझ जूरी को संतुष्ट करना है

उचित संदेह, या ताकि वे निश्चित हों।

आपराधिक मामलों में बहुत उच्च मानक के सबूत की आवश्यकता होती है गलत तरीके से दोषी ठहराए जाने के जोखिम को कम करता है। इसका मतलब यह है कि

कोई ऐसा व्यक्ति जिसे, साक्ष्य के आधार पर, तथ्य खोजने वाला मानता है कि

" शायद "दोषी", या "दोषी होने की संभावना" से बरी कर दिया जाएगा,

क्योंकि संभाव्यता के ये निर्णय अनिवार्य रूप से स्वीकार करते हैं कि

तथ्य-खोजकर्ता "निश्चित" नहीं है। यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि कुछ

कम से कम इन दोषमुक्तियों में से ऐसे व्यक्ति होंगे जो वास्तव में

आरोपित अपराधों का दोषी, और किसे दोषी ठहराया जाएगा

यदि प्रमाण का मानक निम्न नागरिक मानक था

संभावनाओं का संतुलन। इस तरह के बरी होने की कीमत चुकानी पड़ती है।

"उचित संदेह से परे" द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के लिए

गलत सजा के खिलाफ मानक। '

[जोर दिया गया]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

105. हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि इस न्यायालय ने क्या कहा था

शंकरलाल ग्यारासीलाल दीक्षित बनाम। महाराष्ट्र राज्य ने (1981) 2 एस. सी. सी. 35 में रिपोर्ट किया। हम नीचे उद्धृत करते हैं:

" 32. ..... लेकिन, उच्च न्यायालय ने अपना दृष्टिकोण तैयार करते हुए,

सम्मान के साथ, वास्तविक कानूनी स्थिति बताने में त्रुटि हुई

परिस्थितियों का संचयी प्रभाव अपराध को स्थापित करता है अभियुक्त "संदेह की छाया" से परे है। सबसे पहले,

" संदेह की छाया ", उन मामलों में भी जो प्रत्यक्ष पर निर्भर करते हैं

साक्ष्य "उचित" संदेह की छाया है। दूसरा, इसमें

व्यावहारिक अनुप्रयोग, वह परीक्षण जिसके बहिष्करण की आवश्यकता होती है

अन्य वैकल्पिक परिकल्पनाएँ इससे कहीं अधिक कठोर हैं

उचित संदेह से परे प्रमाण का परीक्षण।

[जोर दिया गया]

पीड़ित के शरीर पर चोटें

ऐप्पललैंट

106. अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त

अपीलार्थी को घटना की तारीख को ही चिकित्सा जांच के उद्देश्य से पुलिस कांस्टेबल बृज मोहन सिंह के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी. एच. सी.) धौरहरा भेजा गया था। 22.01.2010 . पीडब्लू-9, डॉ. अंकित कुमार सिंह ने अभियुक्त अपीलार्थी की जाँच की थी और उसके द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र में एक्सएच। 44 , उन्होंने सिर और गर्दन क्षेत्र में या उसके आसपास पांच चोटों को नोट किया। उल्लेख की गई पहली तीन चोटें घाव के रूप में हैं, जबकि अन्य दो चोटें अनावश्यक जलने की चोटों के रूप में हैं। राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने हमारे समक्ष यह तर्क दिया कि अभियुक्त अपीलार्थी के शरीर पर पाए गए घाव अपराध में उसकी संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं। यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा उसे लगी चोटों के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण अभिलेख पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा गलत है। दूसरी ओर, रक्षा

यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के अंत में अभियुक्त अपीलार्थी को लगी चोटों का गैर-स्पष्टीकरण घातक है। इस प्रकार, दोनों पक्ष अभियुक्त अपीलार्थी के शरीर पर पाई गई चोटों का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं।

107. हमारा मानना है कि दोनों पक्ष अपनी बात में गलत हैं।

अपने तरीके से। स्थापित कानून यह है कि यदि अभियुक्त के शरीर पर गंभीर चोटें या गंभीर चोटें पाई जाती हैं तो अभियोजन पक्ष को रामानंद @नंदलाल भारती बनाम का भुगतान करना होगा।

अपीलार्थी स्वयं चोटिल हुए थे। 108. अभियोजन पक्ष चाहता है कि हम कहानी के दूसरे पक्ष को स्वीकार करें। अभियोजन पक्ष जो बताना चाहता है वह यह है कि आरोपी अपीलार्थी को अपराध करते समय चोटें आईं। यह इस तथ्य का संकेत है कि अभियुक्त अपीलार्थी को केवल तभी चोटें आई होंगी जब मृतक व्यक्तियों में से एक ने बचाव में जवाबी कार्रवाई की हो।

हमला। अभियोजन पक्ष का मामला भी ऐसा नहीं है। हम किसी भी मृतक व्यक्ति के अंत में प्रति-रक्षा के इस सिद्धांत को खारिज करते हैं।

110. हम इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। कुछ समय के लिए हम इस आधार पर या इस धारणा पर आगे बढ़ते हैं कि अभियुक्त अपीलार्थी वह अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ देना चाहता था। हम यह समझने में विफल हैं कि हमले के बाद आरोपी अपीलार्थी के लिए शवों को टुकड़ों में काटने का अच्छा कारण क्या हो सकता है। हम अभियुक्त के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. निरंजन रेड्डी के प्रस्तुतिकरण में कुछ योग्यता पाते हैं।

अपीलकर्ता ने कहा कि यह दूसरी तरफ से गंभीर चेतावनी का संकेत हो सकता है जो उच्च जाति (ब्राह्मणों) से संबंधित हैं कि वे कितने बदला लेने वाले और जहरीले हो सकते हैं।

111. धनंजय शंकर शेट्टी बनाम। महाराष्ट्र राज्य,

2) 6 एस. सी. सी. 596, पैराग्राफ 10 में परिस्थिति के संदर्भ में

अर्थात्, हत्या के मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा सेड पर चोटों का गैर-स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण माना गया था जब वहाँ हैंऐसे उदाहरण जो अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध बनाते हैं। प्रासंगिक उद्धरण के लिए, पैराग्राफ 10 का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया हैः

" 10. ..... लेकिन चोटों की गैर-व्याख्या महत्वपूर्ण है।

जब ऐसी भौतिक परिस्थितियाँ होती हैं जो

अभियोजन का मामला संदिग्ध है। इस संबंध में संदर्भ हो सकता है

के मामलों में इस न्यायालय के हाल के निर्णयों के लिए किया जाए

तखाजी हीराजी बनाम। ठाकुर कुबरसिंग चमनसिंग [(2001) 6

एससीसी 145: 2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1070] और काशीराम बनाम। की स्थिति

एम. पी. [(2002) 1 एस. सी. सी 71: 2002 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 68] वर्तमान में

मामला, अपीलार्थी द्वारा चोटों का गैर-स्पष्टीकरण

अभियोजन महत्वपूर्ण है क्योंकि परिस्थितियाँ हैं

जो अभियोजन पक्ष का मामला बनाता है, की संलिप्तता को दर्शाता है अपराध के साथ अपीलार्थी, अत्यधिक संदिग्ध। "

[जोर दिया गया]

112. मोहर राय और भरत राय बनाम। बिहार राज्य, आकाशवाणी

एस. सी. 1281 में यह देखा गयाः

" 6. ..... हमारे फैसले में अभियोजन पक्ष की पेशकश करने में विफलता

उस संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण से पता चलता है कि

घटना से संबंधित अभियोजन पक्ष के गवाह सच नहीं हैं या

किसी भी तरह से पूरी तरह से सच नहीं है। आगे उन चोटों की संभावना बढ़ जाती है

अपीलार्थियों द्वारा ली गई याचिका।

[जोर दिया गया]

113. एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में लक्ष्मी सिंह और अन्य बनाम।

बिहार का, (1976) 4 एस. सी. सी. 394, में निर्धारित अनुपात का उल्लेख करने के बाद

आर राय (ऊपर), इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 12. ..... जहाँ अभियोजन पक्ष चोटों की व्याख्या करने में विफल रहता है

अभियुक्त, दो परिणाम निम्नलिखित हैंः (1) इसका प्रमाण है कि

अभियोजन पक्ष के गवाह असत्य हैं; और (2) कि चोटें अपीलार्थियों द्वारा की गई याचिका की संभावना बनाएँ।

114. यह आगे देखा गया कि -

" 12. ..... एक हत्या के मामले में, चोटों का गैर-स्पष्टीकरण

घटना के लगभग समय आरोपी द्वारा रामानंद @नंदलाल भारती बनाम।

या विवाद के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति होती है

जिनसे न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकता है:

अभियुक्त के व्यक्ति पर चोटें सबसे अधिक भौतिक बिंदु पर पड़ी हैं और इसलिए उनका साक्ष्य अविश्वसनीय है। (3) कि
यदि एक बचाव संस्करण है जो आरोपी के व्यक्ति पर चोटों की व्याख्या करता है तो यह संभावित है

ताकि अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा किया जा सके।

115. मोहर राय (ऊपर) में यह स्पष्ट किया गया है कि अभियोजन पक्ष पर पाई गई चोटों के बारे में कोई स्पष्टीकरण देने में विफलता

अभियुक्त यह दिखा सकता है कि घटना से संबंधित साक्ष्य सच नहीं है, या किसी भी तरह से, पूरी तरह से सच नहीं है। इसी तरह लक्ष्मी सिंह (ऊपर) में यह है

अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त पर चोटों का कोई भी गैर-स्पष्टीकरण अभियोजन मामले को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस तरह की गैर-व्याख्या अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है जहां बचाव एक संस्करण देता है।

जो अभियोजन पक्ष के साथ प्रायिकता में प्रतिस्पर्धा करता है। लेकिन जहां साक्ष्य स्पष्ट, ठोस और विश्वसनीय है और जहां अदालत सच्चाई और झूठ में अंतर कर सकती है, केवल यह तथ्य कि अभियोजन पक्ष द्वारा चोटों की व्याख्या नहीं की गई है, ऐसे साक्ष्य को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है, और इसके परिणामस्वरूप पूरा मामला। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया

विजय सिंह और अन्य मामलों में इस न्यायालय द्वारा। वी. उत्तर प्रदेश राज्य, (1990) सी. आर. आई. एल. जे. 1510।

निष्कर्ष

116. इस प्रकार, नीचे दी गई अदालतों द्वारा साक्ष्य के किसी भी टुकड़े पर भरोसा नहीं किया गया है, जिसे अपराध के रूप में माना जा सकता है। अभियुक्त के विरुद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य। वास्तविकताओं या सच्चाई के अलावा, आपराधिक कानून और न्याय वितरण प्रणाली के प्रशासन में मौलिक और बुनियादी धारणा कथित आरोपी की बेगुनाही है और जब तक आरोप स्पष्ट, ठोस, विश्वसनीय या निर्विवाद साक्ष्य के आधार पर उचित संदेह से परे साबित नहीं हो जाते हैं, तब तक किसी आरोपी को दोषी ठहराने या दंडित करने का सवाल नहीं उठता है, केवल अपराध की जघन्य प्रकृति या उस वीभत्स तरीके से जिसमें इसे किया गया था। हालाँकि अपराध वीभत्स है और [2022] 5 एस. सी. आर. का विद्रोह करता है।

मानव विवेक लेकिन एक अभियुक्त को केवल कानूनी साक्ष्य पर दोषी ठहराया जा सकता है और केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य की एक श्रृंखला को इस तरह से जाली बनाया गया है कि अभियुक्त के अपराध को छोड़कर किसी अन्य उचित परिकल्पना की संभावना को खारिज किया जा सके। शंकरलाल ग्यारासीलाल (ऊपर) में, इस न्यायालय ने आगाह किया-"मानव स्वभाव बहुत इच्छुक है, जब क्रूर अपराधों का सामना करना पड़ता है, तो मजबूत संदेह से कहानियों को घुमाने के लिए"। इस न्यायालय ने बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच यात्रा करने के लिए एक लंबी दूरी है जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट, ठोस और निर्विवाद साक्ष्य द्वारा कवर किया जाना चाहिए, इससे पहले कि एक आरोपी को दोषी ठहराया जाए। [आशीष बाथम बनाम देखें। एम. पी. राज्य, (2002) 7 एस. सी. सी. 31]

117. मामले से अलग होने से पहले, हम मामले के एक महत्वपूर्ण पहलू को छूते हुए अपने अवलोकन को रिकॉर्ड पर रखना चाहेंगे। इसके बिना

जिन प्रश्नों को बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष के गवाहों के सामने नहीं रखना था, उन्हें ऐसे प्रश्नों के उत्तरों के कानूनी निहितार्थ को समझे बिना या समझे बिना रखा गया था, विशेष रूप से जब वे आवश्यक नहीं थे। बचाव पक्ष के वकील बेखबर रहे कानून की स्थिति यह है कि बचाव पक्ष द्वारा गवाहों को दिए गए सुझावों के उत्तर अभियुक्त के लिए बाध्यकारी हैं।

118. बार में उचित स्थिति रखने वाले किसी भी बचाव पक्ष के वकील से यह जानने की उम्मीद की जाती है कि गवाह को बदनाम करने का एकमात्र तरीका जिरह नहीं है। यदि कुछ गवाहों की मौखिक गवाही सिद्ध तथ्यों के विपरीत है और यदि उनकी गवाही इसके बावजूद अस्वीकार्य है, तो उनके साक्ष्य को केवल उसी आधार पर खारिज किया जा सकता है। 119. अब तक एक कानूनी प्रस्ताव के लिए यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि यह देखना और यह सुनिश्चित करना अदालत का कर्तव्य है कि आपराधिक मुकदमे में रखे गए आरोपी का बचाव पक्ष के वकील द्वारा प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व किया जाए, और गरीबी, गरीबी या निरक्षरता या किसी अन्य अक्षम करने वाले कारक के कारण, वह अपनी पसंद के वकील को नियुक्त करने में सक्षम नहीं है, यह अदालत का कर्तव्य बन जाता है कि वह उसे राज्य के खर्च पर उचित और सार्थक कानूनी सहायता प्रदान करे। मेला सुनिश्चित करने के लिए राज्य के कर्तव्य का क्या अर्थ है

किसी अभियुक्त का बचाव करना रामानंद @नंदलाल भारती बनाम के लिए बचाव पक्ष के वकील का काम नहीं है।

नामदार। यह एक वकील का प्रावधान होना चाहिए जो अपनी क्षमताओं के अनुसार लगन से अभियुक्त का बचाव करता है। जबकि बचाव की गुणवत्ता या वकील की क्षमता गारंटी के खिलाफ नहीं होगी संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 द्वारा स्वीकृत निष्पक्ष सुनवाई, प्रतिरक्षा वकील के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में क्षमता और उचित परिश्रम का एक सीमा स्तर निश्चित रूप से संवैधानिक गारंटीकृत अपेक्षा होगी। अभिलेख पर वकील की उपस्थिति का अर्थ है

प्रभावी, वास्तविक और वफादार उपस्थिति और केवल एक प्रहसन, बनावटी या आभासी उपस्थिति नहीं जो भ्रामक है, यदि धोखाधड़ी नहीं है।

120. संविधान का अनुच्छेद 39 ए मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में बताता है

जो इस प्रकार हैः

" 39 ए. समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। - राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली के संचालन से न्याय को बढ़ावा मिले।

समान अवसर का आधार, और विशेष रूप से, प्रदान करेगा

उचित कानूनी सहायता, उपयुक्त कानून या योजनाओं द्वारा या किसी भी मामले में

दूसरे तरीके से, यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय प्राप्त करने के अवसर

आर्थिक या अन्य कारणों से किसी भी नागरिक को अस्वीकार नहीं किया जाता है

अक्षमताएँ "।

121. सी. आर. पी. सी. की धारा 304 कुछ मामलों में राज्य के खर्च पर अभियुक्त को कानूनी सहायता को संदर्भित करती है जो इस प्रकार हैः

“ 304. कुछ मामलों में राज्य के खर्च पर अभियुक्त को कानूनी सहायता। (1) जहां, सत्र न्यायालय के समक्ष किसी मुकदमे में, अभियुक्त का प्रतिनिधित्व एक वकील द्वारा नहीं किया जाता है, और जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास अभियोग लगाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं।

प्लीडर, न्यायालय अपने बचाव के लिए एक प्लीडर नियुक्त करेगा

राज्य का खर्च।

(2) उच्च न्यायालय, के पूर्व अनुमोदन के साथ

राज्य सरकार नियम बनाती है कि

(ए) उप के तहत रक्षा के लिए अधिवक्ताओं के चयन का तरीका

धारा (1);

((ख) न्यायालयों द्वारा ऐसे अधिवक्ताओं को दी जाने वाली सुविधाएँ;

(ग) सरकार द्वारा और आम तौर पर, उप-धारा (1) के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसे अधिवक्ताओं को देय शुल्क।

(3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि -

अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाने वाली तारीख से

उप-धारा (1) और (2) के प्रावधान इस संबंध में लागू होंगे।

राज्य के अन्य न्यायालयों के समक्ष विचारणों के किसी भी वर्ग के लिए, जैसे कि वे

सत्र न्यायालयों के समक्ष विचारणों के संबंध में आवेदन करें।

122. कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 9 के तहत,

प्रत्येक जिले के लिए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों का गठन किया गया है।

राज्य उक्त अधिनियम के तहत जिला प्राधिकरण को प्रदत्त या प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कार्य करने के लिए।

123. इस न्यायालय ने किशोर में दिए गए निर्णय के पैरा 13 में बताया

डी वी। हिमाचल प्रदेश राज्य, (1991) 1 एस. सी. सी. 286, इस प्रकार आयोजित किया गयाः

" 13. हालांकि संविधान का अनुच्छेद 39-ए प्रदान करता है

समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के मौलिक अधिकार और

यद्यपि राज्य निर्धनों की रक्षा के लिए न्यायमित्र प्रदान करता है

अभियुक्त, उसे असमान बचाव के साथ सामना किया जाएगा यदि,

क्या बार का युवा सामान्य ज्ञान है जिसके पास है

या तो थोड़ा सा अनुभव या कोई अनुभव बचाव के लिए नहीं सौंपा गया है। उसे। यह सही समय है कि वरिष्ठ वकील अदालत में वकालत करें

संबंधित, ऐसे निर्धन अभियुक्त का बचाव करने के लिए स्वयंसेवी

उनके पेशेवर कर्तव्य का हिस्सा। यदि ये उपचारात्मक कदम उठाए जाते हैं

और एक ईमानदार और वस्तुनिष्ठ जांच की जाती है, यह होगा जाँच में जनता के विश्वास की भावना को बढ़ाना

एजेंसी। "

124. यह न्यायालय, ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख (5) के मामले में

एक अन्य वी। (2006) 3 एस. सी. सी. में रिपोर्ट किए गए गुजरात और अन्य राज्य ने पैराग्राफ 30,35,38 और 39 में कहा हैः

" 30. न्यायिक प्रणाली की शुरुआत से ही इसने

स्वीकार किया गया कि खोज, पुष्टि और स्थापना

सत्य के अस्तित्व के अंतर्निहित मुख्य उद्देश्य हैं

न्याय की अदालतें। निष्पक्ष सुनवाई के लिए परिचालन सिद्धांत

सिविल और आपराधिक दोनों संदर्भों में सामान्य कानून में प्रवेश करें।

इन सिद्धांतों के अनुप्रयोग में एक नाजुक न्यायिक प्रक्रिया शामिल है।

आपराधिक मुकदमे में प्रतिस्पर्धी हितों का संतुलनः रुचियाँ

अभियुक्त और जनता का और काफी हद तक

पीड़ित को सार्वजनिक हित की दृष्टि खोए बिना तौलना पड़ता है

अपराध करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन में शामिल।

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स अमानंद @नंदलाल भारती बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

35. इस न्यायालय ने अक्सर इस बात पर जोर दिया है कि एक आपराधिक मामले में

कार्यवाही के भाग्य को हमेशा पूरी तरह से पक्षों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता है, अपराध सार्वजनिक रूप से गलत है

और सार्वजनिक अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लंघन, जो प्रभावित करता है

एक समुदाय के रूप में पूरा समुदाय और सामान्य रूप से समाज के लिए हानिकारक है। निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा परिचित है।

अभियुक्त, पीड़ित और समाज के हितों का त्रिकोण और यह समुदाय है जो राज्य और अभियोजन एजेंसियों के माध्यम से कार्य करता है। समाज के हित पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।

पूरी तरह से तिरस्कार के साथ और व्यक्ति के रूप में गैर-वांछनीय। प्रशासन में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए अदालतों को हमेशा एक प्रमुख कर्तव्य माना गया है।

न्याय-जिसे अक्सर "कानून की महिमा" को सही ठहराने और बनाए रखने के कर्तव्य के रूप में संदर्भित किया जाता है। न्याय के उचित प्रशासन को हमेशा एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखा गया है, न कि इन तक सीमित

विशेष मामले का निर्धारण, भविष्य में कानून की अदालत के रूप में कार्य करने की इसकी क्षमता की रक्षा करना, जैसा कि उसके पहले के मामले में था। यदि एक आपराधिक अदालत में एक प्रभावी साधन होना है

न्याय प्रदान करते हुए, पीठासीन न्यायाधीश को एक दर्शक और केवल रिकॉर्डिंग मशीन बनना बंद कर देना चाहिए।

परीक्षण में प्रतिभागी बुद्धि, सक्रिय रुचि और सभी प्रासंगिक सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है

सही निष्कर्ष निकालना, सच्चाई का पता लगाना, और दोनों पक्षों और समुदाय के लिए निष्पक्षता और निष्पक्षता के साथ न्याय का प्रशासन करना। आपराधिक न्याय का प्रशासन करने वाली अदालतें कार्यवाही के संबंध में हुए परेशान करने वाले या दमनकारी आचरण पर आंखें नहीं मूंद सकती हैं, भले ही कोई निष्पक्ष हो।

निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायनिर्णायकों के रूप में न्यायाधीशों के उचित नाम और स्थिति को कम करने के जोखिम को छोड़कर, मुकदमा अभी भी संभव है।

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

38. अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई देने में विफलता या

अभियोजन पक्ष कानून की उचित प्रक्रिया के न्यूनतम मानकों का भी उल्लंघन करता है। कानून की उचित प्रक्रिया की अवधारणा में यह अंतर्निहित है कि निंदा केवल इसके बाद ही की जानी चाहिए

मुकदमा जिसमें सुनवाई वास्तविक होती है, न कि दिखावा या केवल प्रहसन और ढोंग। चूँकि निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता होती है

प्रक्रिया को संरक्षित करने का अवसर, इसे दूषित किया जा सकता है और [2022] 5 एस. सी. आर.

एक जल्दबाजी में किए गए चरण-प्रबंधित, अनुरूप और पक्षपातपूर्ण परीक्षण द्वारा उल्लंघन किया गया।

39. आपराधिक अपराध के लिए निष्पक्ष सुनवाई में न केवल कानून के ढांचे और रूपों के तकनीकी पालन में शामिल है, बल्कि सच्चाई का पता लगाने और अपराध के गर्भपात को रोकने के लिए इसके सिद्धांतों को मान्यता देने और उचित रूप से लागू करने में भी शामिल है।

न्याय।

125. रणछोड़ माथुर वसावा बनाम। गुजरात राज्य, (1974) 3

एस. सी. सी. 581 में कहा गया है कि सत्र न्यायाधीश को गंभीर मामलों में निर्दोष अभियुक्तों के लिए राज्य वकील नियुक्त करने की आवश्यकता को पर्याप्त गंभीरता से देखना चाहिए। निष्पक्ष सुनवाई या समान न्याय से इनकार करने के लिए गरीबी कभी भी आधार नहीं होनी चाहिए। इसलिए, सक्षम अधिवक्ताओं को नियुक्त करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जो जटिल मामलों को संभालने के बराबर हैं, न कि बार में कच्चे प्रवेश करने वालों को संरक्षण देने के लिए। चुने गए अधिवक्ता को पर्याप्त समय और पूर्ण कागजात भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि वह अपने आदेश पर पूरी क्षमता के साथ न्याय का कार्य कर सके, और अभियुक्त को यह भी विश्वास हो कि अदालत द्वारा चुने गए उसके वकील के पास अपना बचाव करने के लिए पर्याप्त समय और सामग्री है।

126. यह मामला हमें देश भर के विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीशों को सत्र आयोजित करने की याद दिलाने का अवसर प्रदान करता है

परीक्षण, विशेष रूप से गंभीर सजा वाले गंभीर अपराधों से संबंधित, अनुभवी वकीलों को नियुक्त करने के लिए जिन्होंने अतीत में ऐसे मामलों का संचालन किया था। यह वांछनीय है कि ऐसे मामलों में निचली अदालत में वकालत करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता से अनुरोध किया जाएगा कि वे निर्दोष अभियुक्त की ओर से स्वयं मामले का संचालन करें या कम से कम उस अधिवक्ता को अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करें जिसे न्याय मित्र के रूप में नियुक्त किया गया है या अभियुक्त व्यक्तियों के मामले का बचाव करने के लिए कानूनी सहायता पैनल से एक अधिवक्ता। तभी कहा जाएगा कि अभियुक्त को प्रभावी और सार्थक कानूनी सहायता प्रदान की गई है।

127. यह न्यायालय, माधव हयावदानराव होसकोट बनाम के मामले में। (1978) 3 एस. सी. सी. 544 में रिपोर्ट किए गए महाराष्ट्र राज्य ने एक ऐसे कैदी के लिए सक्षम और कुशल कानूनी सेवाओं को सुरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था जो एक आपराधिक मामले में या कथित अपराध के लिए मुकदमे का सामना कर रहा है। इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 14,15 और 18 में निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 14. एक कैदी के लिए निष्पक्ष प्रक्रिया का अन्य घटक, जिसे अदालती प्रक्रिया के माध्यम से अपनी मुक्ति प्राप्त करनी होती है, वकील का अमानंद @नंदलाल भारती बनाम है।

सेवाएँ। न्यायिक न्याय, प्रक्रियात्मक जटिलताओं के साथ, कानूनी

प्रस्तुतियाँ और साक्ष्य की आलोचनात्मक परीक्षा, इस पर निर्भर करती है

पेशेवर विशेषज्ञता; और कानून के तहत समान न्याय की विफलता कार्ड पर है जहां इस तरह के सहायक कौशल एक पक्ष के लिए अनुपस्थित है। एंग्लो-अमेरिकन मॉडल द्वारा ढाला गया हमारा न्याय और हमारी न्यायिक प्रक्रिया, संबंधित कानूनी प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित, वकील-शक्ति के सहयोग को मजबूर करती है।

कानून के तहत समान न्याय के पहियों का संचालन करना। जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सेवाएं अंग्रेजी आपराधिक न्याय का हिस्सा हैं। प्रणाली। और अमेरिकी न्यायविद प्रो. वेंस ऑफ येल, भारत के लिए भी सार्थक लगे जब उन्होंने कहाः

एक गरीब और अज्ञानी व्यक्ति को क्या लाभ होता है कि वह कानून के सामने अपने मजबूत विरोधी के बराबर है।

उसे यह बताने वाला कोई नहीं है कि कानून क्या है? या यह कि अदालतें उसके लिए उसी शर्तों पर खुली हैं जैसे कि अन्य सभी व्यक्तियों के लिए, जब उसके पास प्रवेश शुल्क का भुगतान करने का साधन नहीं है?

15. गिडियोन की तुरह अटलांटिक के पार सुनी गई है। ब्लैक, जे. वहाँ देखाः

चिंतन के लिए हमें यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि आपराधिक न्याय की हमारी विरोधी प्रणाली में, कोई भी व्यक्ति जिसे अदालत में रखा गया है, जो एक वकील को नियुक्त करने के लिए बहुत गरीब है, उसे तब तक निष्पक्ष सुनवाई का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है जब तक कि उसके लिए परामर्श प्रदान नहीं किया जाता है। यह हमें एक स्पष्ट सत्य प्रतीत होता है। राज्य और संघीय दोनों सरकारें, इसे स्थापित करने के लिए काफी बड़ी राशि खर्च करती हैं।

अपराध के अभियुक्त प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाने के लिए तंत्र। मुकदमा चलाने के लिए वकीलों को हर जगह सुरक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है

एक सुव्यवस्थित समाज में जनता की रुचि। इसी तरह, ऐसे कुछ प्रतिवादी हैं जिन पर अपराध का आरोप लगाया गया है जो सबसे अच्छे वकीलों को नियुक्त करने में विफल रहते हैं जो उन्हें तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए मिल सकते हैं।

बचाव। यह कि सरकार मुकदमा चलाने के लिए वकीलों को काम पर रखती है और जिन प्रतिवादियों के पास बचाव के लिए वकीलों को काम पर रखने का पैसा है, वे व्यापक विश्वास के सबसे मजबूत संकेत हैं कि

आपराधिक अदालतों में वकील आवश्यकताएँ हैं, विलासिताएँ नहीं। अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति के वकील के अधिकार को कुछ मामलों में निष्पक्ष सुनवाई के लिए मौलिक और आवश्यक नहीं माना जा सकता है। देशों में , लेकिन हमारे में है। शुरू से ही हमारे राज्य और राष्ट्रीय संविधानों और कानूनों ने बहुत जोर दिया है

के लिए डिज़ाइन किए गए प्रक्रियात्मक और मूल सुरक्षा उपायों पर निष्पक्ष न्यायाधिकरणों के समक्ष निष्पक्ष सुनवाई का आश्वासन देता है जिसमें प्रत्येक

प्रतिवादी कानून के सामने बराबर है। यह महान विचार अगर अपराध के आरोप में गरीब आदमी है तो उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है

उसकी सहायता करने के लिए एक वकील के बिना अपने अभियुक्तों का सामना करना।

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

18. अमेरिकन बार एसोसिएशन ने मौलिक को बरकरार रखा है

इस आधार पर कि अपराधी को सलाह दी जानी चाहिए स्वतंत्रता की हानि द्वारा दंडनीय अपराधों के लिए कार्यवाही, सिवाय इसके कि

उन प्रकार के अपराध जिनके लिए ऐसी सजा की संभावना नहीं है

थोपा जाए। इस प्रकार, अमेरिका में, पॉवेल द्वारा मजबूत,

गिडियोन और हैमलिन मामलों में अभियुक्तों के वकील

अधिक गंभीर श्रेणी के मामले जो किसी व्यक्ति को खतरे में डालते हैं कारावास को एक आवश्यक घटक माना जाता है

आपराधिक न्याय का प्रशासन और प्रक्रियात्मक के हिस्से के रूप में

निष्पक्ष-खेलो। यह छठे संशोधन की परवाह किए बिना है।

क्योंकि वकीलों की भागीदारी आम तौर पर एक आश्वासन है कि

स्वतंत्रता से वंचित करना प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं होगा। कानून द्वारा स्थापित। संक्षेप में, यह मेले का ताना-बाना है।

एक परिष्कृत, कानूनी प्रणाली में प्रक्रिया और अशिक्षित लोग

गरीबों की भरमार है। भारतीय सामाजिक-कानूनी परिवेश स्वतंत्र बनाता है। कानूनी सेवा, परीक्षण और उच्च स्तर पर, एक अनिवार्य

आपराधिक न्याय का प्रक्रियात्मक अंश जहाँ जीवन से वंचित किया जाता है

या व्यक्तिगत स्वतंत्रता न्यायिक संतुलन में लटकी हुई है।

128. उपरोक्त संदर्भ में, हम राष्ट्रीय कानूनी का उल्लेख कर सकते हैं

सी. ई. एस. प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवा) विनियम,

. विशेष रूप से, विनियमन-15, जो इस प्रकार हैः

" 15. उपयुक्त मामलों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की विशेष भागीदारी

मामले। (1) यदि निगरानी और परामर्श समिति या कार्यकारी

कानूनी सेवा संस्थान के अध्यक्ष या अध्यक्ष हैं -

राय है कि वरिष्ठ अधिवक्ता की सेवाएं, हालांकि नहीं वकीलों के अनुमोदित पैनल में शामिल, प्रदान किया जाना है

ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता को नियुक्त करें। (2) राज्य के विनियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद,

कानूनी सेवाओं के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष अमानंद @नंदलाल भारती बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

संस्थान ऐसे वरिष्ठ का मानदेय तय कर सकता है।

अधिवक्ता "।

129. सुभाष चंद बनाम में यह न्यायालय। राजस्थान राज्य

(2002) 1 एस. सी. सी. 702 में पैरा 26 में अभियुक्त अपीलार्थी को अपील की अनुमति देते हुए और धारा 302 और 376 (2) (एफ) के तहत उसमें याचिका दायर करते हुए।

ई आई. पी. सी., निम्नानुसार मनाया गयाः

" 26. मामले से अलग होने से पहले हम इस पर ध्यान देना चाहेंगे

अभिलेख, हमारा एक अवलोकन, के एक पहलू को छूते हुए

मामला। अनजान अपराध किए जाते हैं। ए का तथ्य

अभियुक्त की पहचान का खुलासा किया जाता है और न ही कोई गवाहों का उपलब्ध संकेत जो सक्षम होंगे

उपयोगी और प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत करें। इस तरह के अपराध

एक जाँच अधिकारी की बुद्धि का परीक्षण करें। एक सतर्क जाँच

अधिकारी, नौकरी की तकनीकों से अच्छी तरह वाकिफ, एक में है

साक्ष्य के धागे एकत्र करने की स्थिति

वह मार्ग जो अपराधी की ओर ले जाता है। जिसका अंत

केवल अपराधी को पकड़ कर। आरोप लगना चाहिए कानून की अदालत में पूरी तरह से साबित किया जाए। के प्रमाण

अदालत में दिए गए जाँच अधिकारी के पास एक लय होनी चाहिए चरण-दर-चरण बताते हुए कि जांच कैसे आगे बढ़ी

जिससे अपराधी का पता लगाया जा सके और साक्ष्य एकत्र किए जा सकें

उसके खिलाफ। यह संभावना को बाहर करने के लिए आवश्यक है

किसी भी निर्दोष को उठाया गया है और अपराधी के रूप में ब्रांडेड किया गया है और फिर अपराध की गंभीरता मानव सहानुभूति को जगाती है

मन को संदेहपूर्ण या दूर ले जाने के लिए राजी करना

संदिग्ध परिस्थितियाँ उन्हें "संदेह से परे" मानती हैं

प्रमाणिक मूल्य "।

[जोर दिया गया]

130. परिणामस्वरूप, अपीलों की अनुमति दी जाती है। का विश्वास

एड अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा302 के तहत दरकिनार कर दिया जाता है। वह बरी हो जाता है।

उनके खिलाफ आरोप तय किए गए। यदि उसे किसी अन्य अपराध के संबंध में हिरासत में लिया जाता है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

131. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

अपीलों की

अनुमति दी गई।

गुजराल

महेंद्र यादव, एलसीआरए द्वारा संपादित)